उन्नति

विचार

वर्ष : 6 अंक : 1 जनवरी-मार्च, 2001

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
समुदाय आधारित पुनर्वसन और पुनर्वास

नज़रिया 13
पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति कैसी होनी चाहिए?

अपनी बात 20
भूकंप-ग्रस्त अंचलों में पुनर्वास हेतु 'उन्नति' का प्रयास

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 23

संदर्भ सामग्री 29

अपने बारे में 31

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र
बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें ।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

पुनर्वास : लोगों का, केवल भवनों का नहीं

गणतंत्र दिवस पर गुजरात में आए भूकंप से हुए भयंकर विनाश को लेकर समस्त राज्य, देश और सारे संसार के लोगों ने जो बचाव, राहत एवं पुनर्वास के कार्य में स्वैच्छिक सहयोग प्रदान किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। ध्वस्त प्राय और हतप्रभ प्रशासन तंत्र का यह विकल्प हमें राज्य के अस्तित्व की लोक-स्वीकृति के बारे में सवाल उठाने हेतु प्रेरित करता है। भूकंप के भौतिक और सामाजिक परिणामों से प्रभावित होने वाले लोगों को उबारने के प्रत्येक कार्यक्रम की शुरूआत उनको मानसिक आघात से बाहर लाने के कार्य से शुरू होना जरूरी है। उसके बाद के पुनर्वास कार्य में सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पहलू महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं। बचाव और राहत कार्य तथा पुनर्वास के काम में इस दिशा में साझा प्रयास करने जरूरी हैं ताकि यथासंभव सामाजिक व सांस्कृतिक भेदभाव न रहने पाएँ। प्रभावित क्षेत्रों में बाहरी संस्थाओं और लोगों की मध्यस्थता भौतिक पुनर्वास के संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण होते हुए भी इन मामलों में उसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

इस अर्थ में पुनर्स्थापन और पुनर्वास के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को अत्यंत सावधानीपूर्वक हाथ में लेने की जरूरत है। इसमें मूल सिद्धांत यह होना चाहिए कि मकानों का ही नहीं वरन लोगों के जीवन का भी पुनर्निर्माण करना है। मानसिक पुनर्वास के लिए प्रभावित होने वाले लोगों की मनो-सामाजिक देखभाल की जानी आवश्यक है ताकि अपने जीवन के पुनर्निर्माण कार्य में परंपरागत इंजीनियरी और प्रशासनिक अभिगम अपनाने के बजाय समुदाय आधारित अभिगम अपनाया जाए, यह भी अनिवार्य है। स्थानीय समुदाय की स्वयं पुनर्वास की तैयारी, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी और पुनर्वास में सामुदायिक संगठनों की सहभागिता - ये इस अभिगम के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। पुनर्वास की प्रक्रिया राज्य के द्वारा ऊपर से न लादी जाए, वरन स्थानीय समुदाय की सहभागिता से निर्मित होनी चाहिए। फिर यह प्रक्रिया नितांत पारदर्शी बननी चाहिए, ताकि प्रशासनिक तंत्र स्थानीय समुदाय के प्रति अधिक उत्तरदायी बने। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यापक स्तर पर निष्ठा के साथ हाथ में लिया जाने वाला पुनर्वास कार्य भी लंबे समय तक लोकोपयोगी नहीं रह पाता।

प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में पुनर्वास संबंधी पैकेज में राष्ट्रीय प्रतिबद्धता नहीं रह पाती। उसमें नागरिकों के आपदा के समय राहत प्राप्त करने और पुनर्वास सेवाएं प्राप्त करने के अधिकारों को ज्यादातर भुला दिया जाता है। ऐसे पैकेज छिटपुट न हों, वरन एक सर्व-सम्मत राष्ट्रीय नीति के अनुसार हों, यही अपेक्षित है। यहाँ पुनर्वास के लिए सिर्फ इंजीनियरी उपाय न आजमाये जाएँ वरन् सामुदायिक शिक्षण की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। आयोजन और क्रियान्वयन के स्तर पर लोगों की सहभागिता ही पुनर्वास को लोक-केन्द्री, टिकाऊ और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अल्पव्ययी बनायेगी।

समुदाय आधारित पुनर्स्थापन और पुनर्वास

गणतंत्र दिवस को गुजरात में आए भूकंप ने अत्यधिक मात्रा में जन-धन को क्षति पहुंचाई है और सैंकड़ों गाँवों व नगरों में व्यापक विनाश लीला मचाई है। ऐसे में प्रभावित लोगों और अंचलों में समुदाय-आधारित पुनर्वास अभिगम को अपनाया जाना क्यों अपेक्षित है और किस तरह वह एक श्रेष्ठ विकल्प सिद्ध होता है, इस बात का उल्लेख **श्री हेमन्तकुमार शाह** ने अपने इस आलेख में किया है। भूकंप के बाद हरेक स्वैच्छिक संस्थाओं ने जो मुद्रित सामग्री तैयार की है, उसका भी इस आलेख में संदर्भ के बतौर उपयोग किया गया है

प्रस्तावना

गणतंत्र दिवस को गुजरात में आए विनाशक भूकंप से जान-माल की जितनी हानि हुई है, उतनी अतीत में शायद ही कभी हुई होगी। भूकंप की तीव्रता और व्यापकता दोनों अत्यंत विनाशक थी। इसने राज्य के 25 जिलों में से 21 जिलों की 101 तहसीलों के 7633 गांवों को प्रभावित किया है। कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात तथा मध्य गुजरात - इस तरह सम्पूर्ण गुजरात राज्य भूकंपग्रसित हुआ है। 1.59 करोड़ जनता अर्थात राज्य की कुल आबादी के 32 प्रतिशत लोग भूकंप प्रभावित हुए हैं। प्रामाणिक आँकड़ों के अनुसार लगभग 20,000 लोगों ने प्राण गंवाये और 1.66 लाख लोगों को छोटी-बड़ी चोटें आई हैं। लगभग 25,000 लोग विकलांग हुए हैं, 3.55 लाख मकान धराशायी हुए हैं और 8.68 लाख मकानों को कमोबेश नुकसान पहुँचा है।

इसी भाँति विद्यालयों, सड़कों, अस्पतालों, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, संचार-व्यवस्था के साधनों, रेलवे, उद्योगों आदि ढाँचागत सुविधाओं को भी जबर्दस्त नुकसान पहुँचा है। यथा, सैंकड़ों निजी और सरकारी प्राथमिक शालाएँ धराशायी हुई हैं अथवा क्षतिग्रस्त हुई हैं। असंख्य स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल नष्ट हो गए हैं अथवा क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस प्रकार भौतिक व सामाजिक दोनों तरह की ढाँचागत सुविधाएँ भूकंप से प्रभावित हुई हैं, जो सामान्यतया मनुष्य के जीवन में अनिवार्य सहयोग प्रदान करती रही हैं। ऐसे भयानक संकट की घड़ी में पुनर्स्थापन और पुनर्वास के विराट प्रश्न खड़े हों, यह स्वाभाविक ही है। प्रभावित लोगों का जानमाल की एक-साथ भोगी हुई हानि से हतप्रभ होना और अत्यधिक पीड़ा, वेदना व दुःख का अनुभव करना भी उतना ही स्वाभाविक है। इस आघातजनक परिस्थिति का सामना कर पाना और जन-जीवन को फिर से व्यवस्थित कर पाना उतना आसान नहीं होता जितना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की छोटी-बड़ी समस्याओं के समय होता है। अर्थात् गुजरात के भयंकर विनाशकारी भूकंप जैसी आपदा के समय पुनर्स्थापन और पुनर्वास की समस्या अत्यंत विकराल होती है और यह अनेक प्रकार की चुनौतियाँ खड़ी करने वाली होती है।

इस चुनौती को इस प्रकार झेला जाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास स्थायी बने। ऐसा पुनर्स्थापन-पुनर्वास लोगों की भागीदारी और सम्पूर्ण समुदाय की सहभागिता के बिना संभव नहीं, यह बात भारत में इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं के समय हुए अनुभवों से स्पष्ट है। कोई ध्वस्त गाँव या नगर खंडहर बन जाने से पूर्व मकानों का जंगल ही नहीं था। उस गांव अथवा नगर में लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक-आर्थिक व्यवहारों से स्पंदित जीवन था। इसलिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास सिर्फ मकानों का ही नहीं करना होता अपितु लोगों की जिंदगी को फिर से व्यवस्थित करके जीवन को फिर से सचेतन करना होता है।

यह काम पुनर्स्थापन व पुनर्वास की प्रक्रिया में लोगों को सक्रिय रूप से शामिल किए बिना पूरा कर पाना असंभव है। कुटुम्बों और समुदायों में जीने वाले भारत के संकटग्रस्त लोगों के जीवन का पुनर्स्थापन और पुनर्वास भी कुटुम्बों और समुदायों के सहयोग द्वारा ही हो सकता है। अतः समुदाय आधारित पुनर्स्थापन और पुनर्वास का अभिगम स्थायी और व्यक्तिगत-सामुदायिक रीति से स्वीकृत

समाधान प्रदान करता है। दूसरी एक चुनौती स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को सक्षम बनाने की है। प्राकृतिक आपदा की आशंका से मुकाबले हेतु तैयारी, बचाव और राहत के कार्यों हेतु तैयारी और उन कार्यों को करने की क्षमता और पुनर्स्थापन-पुनर्वास के काम करने की क्षमता स्थानीय स्वशासी संस्थाएं प्राप्त करें, यह आवश्यक है। राज्य सरकारें साधारणतया ग्राम, तहसील व जिला पंचायतों, नगरपालिकाओं और महानगर परिषदों की उपेक्षा करती रही हैं। लेकिन सन् 1993 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने इन संस्थाओं को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है और तीसरे स्तर की सरकार बनाई है, तब तो यह आवश्यक है कि वे ये क्षमताएं अर्जित करें। लोग भी इन संस्थाओं के सर्वाधिक समीप होते हैं। परिणाम स्वरूप वे आपदाओं का सामना करने के लिए जितने अधिक सक्षम होंगे, उतना ही अधिक प्रजातंत्र मजबूत बन सकेगा।

समुदाय आधारित पुनर्स्थापन और पुनर्वास क्या है?

विकास में आयोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के प्रत्येक चरण पर नीचे से ऊपर का सहभागिता का अभिगम अब प्रमुख स्थान पर आ चुका है, विकास संबंधी परंपरागत अभिगम गरीबी और असमानता की समस्याओं के समाधान में असफल रहे हैं। आपदा-संचालन और पुनर्स्थापन-पुनर्वास में भी सहभागिता और समुदाय आधारित अभिगम अनिवार्य हो गए हैं। इसके तीन कारण हैं:

आवश्यकता

1. स्थानीय अवसरों और अवरोधों को स्थानीय निवासी जितने अच्छे ढंग से समझते हैं, उतना कोई नहीं समझ सकता। **2.** जिस समुदाय का अस्तित्व और कल्याण खतरे में है, उस के अलावा कोई दूसरा समुदाय स्थानीय मामलों में अधिक रुचि नहीं रखता। **3.** देश के सर्वाधिक समृद्ध और मूल्यवान विकासोन्मुखी संसाधन व्यक्ति हैं अतः उन्हीं का उपयोग किया जाना चाहिए और उनका ही विकास

दुर्योग - निवारण का वैकल्पिक दृष्टिकोण

'दुर्योग-निवारण' दक्षिणी एशिया में आपदा निवारण हेतु आपदाओं और उनके प्रभावों के बारे में वैकल्पिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों एवं संगठनों का ढांचा है। उसने आपदा या दुर्घटनाओं के संदर्भ में जो वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित किए हैं, वे निम्नानुसार हैं:

वर्तमान दृष्टिकोण	वैकल्पिक दृष्टिकोण
1. दुर्घटनाओं और संघर्षों को अलग-अलग घटना माना जाता है।	1. दुर्घटना और संघर्ष विकास की सामान्य प्रक्रिया का भाग हैं।
2. समाज में सामान्य समय की स्थिति वाले संबंधों का शायद ही विश्लेषण होता है।	2. सामान्य समय के दौरान समाज के संबंधों का विश्लेषण आधारभूत है और वह दुर्घटना तथा संघर्ष को समझने में उपयोगी है।
3. तकनीकी तथा कानूनी व व्यवस्था की दृष्टि से समाधान तलाशे जाते हैं।	3. ऐसे समाधानों पर बल दिया जाता है जिनसे समाज के अंदरूनी ढांचे और संबंध बदलें। इसका प्रयोजन यह है कि लोग कम प्रभावित हों और उनकी क्षमता बढ़े।
4. मध्यस्थता की व्यूह रचनाओं में केन्द्रीय संस्थाएँ लोगों के प्रति कम उत्तरदायी होती हैं और उनकी प्रक्रियाएँ कम पारदर्शी होती हैं।	4. मध्यस्थता की व्यूह रचनाओं में विकेंद्रित संस्थाएँ प्रभावी रहती हैं। उनमें जन-भागीदारी सबसे महत्त्व की है। लोगों को 'विकास' में भागीदार माना जाता है।
5. क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएँ लोगों के प्रति कम उत्तरदायी होती हैं और उनकी प्रक्रियाएँ कम पारदर्शी होती हैं।	5. क्रियान्वयन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता पर बल दिया जाता है।
6. दुर्घटना घटने के बाद मध्यस्थता की जाती है।	6. दुर्घटना या संघर्ष का निवारण मूलभूत ध्येय होता है।
7. मध्यस्थता का प्रयोजन घटना से पहले की स्थिति फिर से लाना है।	7. दुर्घटना और संघर्ष को परिवर्तन हेतु एक अवसर के रूप में देखा जाता है।

स्रोतः 'दक्षिण एशिया में दुर्घटनाएं और उनकी प्रभाविता', प्रकाशकः डिज़ास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद

किया जाना चाहिए।

तत्त्व

इस प्रकार, व्यक्ति समुदाय आधारित अभिगम वाली पुनर्वास प्रक्रिया के केन्द्र में हैं। इस अभिगम के सामान्य तत्व निम्नानुसार हैं:

1. स्थानीय लोग स्वयं अपना पुनर्स्थापन और पुनर्वास शुरू करने व संचालित करने हेतु सक्षम हैं। **2.** सरकार, निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण है परंतु स्थानीय पुनर्वास हेतु स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय उत्तरदायित्व प्राथमिक आवश्यकता है। **3.** पुनर्स्थापन और पुनर्वास में सर्वग्राही आयोजन एवं निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सहभागिता जरूरी है। **4.** निर्धारित स्थानीय जरूरतों के साथ शिक्षण के अवसरों का सुसम्बंध स्थापित होना चाहिए। **5.** स्थानीय संसाधनों के उपयोग व संचालन की व्यवस्था में सुधार पर बल दिया जाए। **6.** बाहरी आर्थिक सहायता का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग जरूरी है। **7.** स्थानीय समुदाय में रहने वाले लोगों पर ही परिवर्तन की जिम्मेदारी है।

इन तत्त्वों को ध्यान में रखने पर ऐसा कहा जा सकता है कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास का समुदाय आधारित अभिगम प्रभावित होने वाले समुदाय को सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान में रखता है। समुदाय अपने पर्यावरण के बारे में जानकार होते हैं और कई बार वे आने वाली विपत्ति की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। वे अनिवार्य परिस्थिति का मुकाबला करने का समृद्ध अनुभव रखते हैं और इसी कारण उसका सामना करने की तैयारी भी कर सकते हैं। आपत्तियों का सामना करने वाली इन पद्धतियों को विकसित करने में समुदाय को सदियां लग जाती हैं और वे पद्धतियाँ स्थानीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजकीय वातावरण हेतु उत्तम रीति से अनुकूल भी होती हैं। अतः समुदाय आधारित अभिगम को अपनाने से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं:

लाभ

1. यदि पुनर्स्थापन और पुनर्वास में लोक-भागीदारी हो तो संकट के समय राहत मिलने से लोग अधिक स्वतंत्र बन जाने में सक्षम होते हैं। वे ऐसी क्षमता अर्जित कर लेते हैं कि वे स्वयं ही अपने जीवन-निर्वाह का सहारा बन जाते हैं। **2.** सामुदायिक सहभागिता वाली मध्यस्थता से सामान्य सामाजिक-आर्थिक सवालों का रचनात्मक तरीके से समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। सहभागिता से उनमें नए ज्ञान व कौशल विकसित होते हैं, समुदाय के सदस्यों में नेतृत्व का गुण आता है, और इनसे वे विकासोन्मुखी प्रयास करने की शक्ति विकसित करते हैं। **3.** महिलाओं पर आपदा का प्रभाव पुरुषों से भिन्न तरीके से होता है। आपदा का सामना करने की और पुनर्स्थापन व पुनर्वास की महिलाओं की क्षमता अलग होती है। समुदाय आधारित अभिगम इस पर ध्यान देता है और स्त्री-पुरुषों के बीच सामाजिक समानता बनाए रखने के सामाजिक प्रश्न को हल करने का प्रयास करता है। **4.** पुनर्स्थापन व पुनर्वास समुदाय आधारित हो तो लोगों में कमजोरी होने के कई कारणों को दूर करने की उनकी क्षमता बढ़ती है और उससे भावी विपत्तियों के प्रभाव की तीव्रता घटती है। इसका सबसे अधिक लाभ दुर्बल वर्गों को मिलता है।

जीवन निर्वाह और समुदाय आधारित अभिगम

प्राकृतिक आपदायें जीवन निर्वाह संबंधी कई निश्चित और सर्वसामान्य खतरे खड़े करती हैं। सामान्यतया आपत्तियों से जीवन निर्वाह संबंधी भौतिक और सामाजिक व्यवस्थाएँ बिखर जाती हैं और विशेष रूप से गरीबों और वंचित समूहों पर विपत्तियों का और भी ज्यादा बुरा असर होता है। प्राकृतिक आपदा उत्पादन, विनिमय, संसाधनों और अधिकारों की स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फैंकती है। पर सभी दुष्प्रभावित परिवारों पर उसका असर एक-सा नहीं होता। सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से समाज के उच्च स्तरीय वर्गों की बजाय गरीबों और वंचितों पर विपत्तियों का अधिक विपरीत प्रभाव होता है, यह बात समझी जानी चाहिए। अतः यह जरूरी है कि समुदाय आधारित अभिगम में जीवन-निर्वाह की व्यवस्था गरीबों और वंचितों के प्रति रचनात्मक भेदभाव रखने वाली हो।

प्रश्न और व्यवस्थाएँ

पुनर्स्थापन और पुनर्वास में जीवन-निर्वाह के प्रश्नों और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना जरूरी है और यह विचार करना पड़ेगा कि समुदाय आधारित पुनर्वास किस प्रकार हो सकता है। इस संदर्भ में उसमें निम्न बातें ध्यान में रखनी होंगी:

1. समुदाय में प्राप्त रोजगार के अवसर
2. समुदाय के लोगों के संसाधन और सम्पत्ति
3. विपत्ति के समय लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले सामाजिक ढांचे।
4. जल की प्राप्ति

5. आधार की प्राप्ति और उपलब्धता
6. अंचल में आवास के अवसर और समस्याएं
7. जानवरों के लिए घास-चारे की प्राप्ति
8. लोगों को उपलब्ध स्वास्थ सेवायें और उनकी पहुँच
9. स्वास्थ सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता
10. क्षेत्र में संचार व्यवस्था के साधन
11. राहत और विकास संबंधी सरकारी नीति
12. हस्तकला के क्षेत्र के लोगों का कौशल
13. कौशल को प्रोत्साहित करने की संभावना और अवरोध
14. सामुदायिक संम्पत्ति संसाधनों के संचालन की प्रथा
15. समुदाय के सामाजिक संगठनों का कार्य

उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के संसाधनों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। वर्तमान सामाजिक भेदभाव कानून और व्यवस्था की संकीर्ण परिस्थिति भी प्रायः उत्पन्न कर देते हैं। इससे कई लोगों को जीवन निर्वाह के संसाधन नहीं मिलते, आमदनी की असुरक्षा पैदा हो जाती है और लोगों को स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना भी पड़ता है। जीवन निर्वाह के पुनर्स्थापन के समय ऐसे भेदभावों को परखने की और इनके संघर्षों के निवारण की व्यवस्थाओं पर भी विचार करना पड़ता है।

जीवन निर्वाह के समक्ष आपत्ति की वजह से आने वाले खतरे को समझने हेतु उत्पादन के साधनों, उनका समुदाय में वितरण, उनकी सर्व-सामान्य और विशेष रूप सें गरीबों के संदर्भ में चिरंतनता आदि को समझना अनिवार्य हैं। जीवन निर्वाह के विविध स्रोतों में गरीबों के लिए श्रम ही सबसे अधिक मूल्यवान पूंजी होती है क्योंकि आजीविका कमाने के लिए उनके पास एकमात्र यही क्षमता होती है। यह देखना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि विपत्ति के बाद उनका स्वास्थ्य बना रहे। इस प्रकार गरीबों के जीवन निर्वाह और स्वास्थ्य के बीच सीधा सम्बंध है। जीवन निर्वाह की प्राप्ति और उसका चिरंतन उपयोग एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें संसाधन, मानव-कौशल और उसके उपयोग की क्षमता, उसके समुदाय के बीच बांटने के सामाजिक संगठन के सिद्धांत एवं स्वरूप तथा भावी उपयोग के लिए उनका पुनर्सृजन इत्यादि का समावेश होता है।

भूकंप, तूफान, बाढ़ और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदायें जीवन-निर्वाह की सामाजिक एवं प्राकृतिक व्यवस्थाओं को तहस-नहस कर डालती हैं, जिससे गरीब और वंचित लोग और भी कमजोर हो जाते हैं। हालाँकि, अचानक आने वाली आपदा जीवन निर्वाह प्राप्त करने संबंधी अवसरों और संसाधनों का भी विनाश कर डालती है। आपदाओं के कारण अगर स्थलांतरण होता है तो सामान्य सामाजिक ताने-बाने नष्ट होते हैं और जीवन निर्वाह के उनके दावे और अधिकार घट जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीवन निर्वाह की तलाश में होने वाला स्थलांतरण रोका जाए और स्थानीय समुदाय में ही जीवन निर्वाह परक पुनर्वास हो।

समुदाय आधारित अभिगम के उपरोक्त पक्षों के संदर्भ में 'उन्नति' 'कच्छ नव निर्माण अभियान' और 'स्नेह समुदाय' के द्वारा गुजरात के भूकंप प्रभावित अंचलों के पुनर्वास हेतु जो अभिगम अपनाए गए हैं, उनके उदाहरण देखने लायक हैं।

कच्छ नव निर्माण अभियान

'कच्छ नव निर्माण अभियान' कच्छ जिले की स्वैच्छिक संस्थाओं का एक संगठन है। इसमें 14 स्वैच्छिक संस्थाएँ सदस्य हैं और दूसरी नौ संस्थाएँ सहयोगी सदस्य हैं। सन् 1998 में आए विनाशकारी तूफान के समय इस 'अभियान' की स्थापना हुई थी। इसने गणतंत्र दिवस के भूकंप के संदर्भ में 13.2.2001 को आवास नीति के लिए जो सिफारिशें तैयार की हैं, उनका संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है:

दृष्टि और विचारधारा

भूकंप प्रतिरोधक मकानों के पुनर्निमाण की प्रक्रिया में यह याद रखना चाहिए कि हमें स्वावलंबी और स्थायी समुदायों का निर्माण करना है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मात्र मकान ही नहीं बनवाने, वरन लोगों की जिंदगी और समुदायों का भी पुनर्निर्माण करना है। लोगों, कारीगरों, दक्षता, परंपरागत ज्ञान एवं तकनीकी जैसे स्थानीय संसाधनों की पहचान की जानी चाहिए और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों का हित होना चाहिए और उनमें स्वामित्व की भावना पैदा होनी चाहिए। पुनर्निर्माण एक विशाल आर्थिक प्रवृत्ति बनेगी। वह इस तरह से होनी चाहिए ताकि स्थानीय अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिले।

राजगीर, लुहार, सुथार, कुम्हार इत्यादि स्थानीय मजदूरों एवं कुशल कारीगरों को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में रोजी मिलनी चाहिए ताकि जब तक अर्थतंत्र पूरी तरह से पुनः सचेतन हो, तब तक उनको किसी न किसी रूप में नियमित आमदनी मिलती रहे। इसके अतिरिक्त, सामग्री एवं चिनाई उद्योग की छोटी-बड़ी इकाइयों का उपयोग होना चाहिए ताकि मकानों की चिनाई की प्रवृत्ति का आर्थिक लाभ प्रभावित प्रदेश को ही मिले।

पुनर्निर्माण कार्य की परियोजना का प्रभावित प्रदेश के अर्थ तंत्र पर बहुविध प्रभाव होना चाहिए। बाहर से सामग्री लाने से तथा पहले से तैयार ढांचों का आयात करने से आवास की समस्या का फौरन हल निकलता है, पर लंबी अवधि में वह महंगा सिद्ध होता है क्योंकि वह स्थानीय लोगों की कीमत पर बाहर के लोगों को समृद्ध करता है। सरकार को पुनर्रचना के पैकेज में डिजाइन, सामग्री एवं तकनीक तय करने के बजाय व्यापक दिशा-निर्देश देने चाहिए और इस प्रकार नूतन स्थानीय प्रयोगों, सर्जनात्मकता तथा वैविध्य को स्थान देना चाहिए। यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा बुनियादी लघुतम भूकंप प्रतिकारक पद्धतियां बताई जाएँ और उनका क्रियान्वयन, डिजाइन व प्रौद्योगिकी में किया जाए।

पद्धति

1. इसके लिए दाता-चालक पद्धति नहीं वरन् मालिक-चालक पद्धति अपनानी पड़ती है। अर्थात् स्थानीय समुदाय निर्णय-प्रक्रिया और पुनर्रचना की प्रक्रिया में जोड़े जाएँ। इसके लिए प्रत्येक गांव में ग्राम-समिति का गठन हो। वह समिति आयोजन, डिजाइन एवं पुनर्रचना की प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी का वाहन बने। स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं को उसमें लोगों को प्रेरणा देने, सूचनाएं प्रदान करने, तकनीकी प्रशिक्षण तथा दाता संस्थाओं

भूकंप ग्रस्त लोगों के पुनर्वास में 'उन्नति' का अभिगम

कच्छ

1. विधवाओं, एकाकी महिलाओं, अनाथ बालकों और विकलांगों के समुदाय आधारित पुनर्वास को प्रोत्साहन

इन लोगों को राहत और पुनर्वास सेवाएँ आसानी से नहीं मिलतीं। पुनर्वास की परंपरागत विचारणा में उनकी समुदाय आधारित नहीं, अपितु संस्थागत तरीके से देखभाल की जाती है। अनाथ आश्रम अथवा नारी गृह जैसी संस्थाओं के लिए जरूरी है कि वे प्रतिदिन मानसिक रूप से सहायक वातावरण प्रदान करें। 'उन्नति' ने भचाऊ नगर और उसके आसपास के 10 गांवों में समुदाय आधारित पुनर्वास केन्द्र शुरू किए हैं। उनमें अल्पकाल के लिए भोजन, सूचनाएँ और संवेदनात्मक सहायता प्रदान की जाती है। प्राथमिकता के स्तर पर इन लोगों के लिए आवास के निर्माण होने पर ध्यान दिया जाएगा। उनको उनकी सम्पति और उत्तराधिकार अधिकार के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।

2. जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन

जीवन निर्वाह की व्यवस्था को सुदृढ़ किए बिना पुनर्वास की प्रक्रिया संभव नहीं है। कच्छ में परंपरागत हस्तकला गरीबों के जीवन निर्वाह का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। उसमें बुनाई के काम, कसीदे के काम, ब्लोक प्रिंटिंग और रंगाई के काम का समावेश है। 'उन्नति' भचाऊ और आसपास के गांवों में आजीविका के साधन के विनाश के निर्धारण का आयोजन कर रही है। स्थानीय दाताओं एवं उत्पादकों के बीच संयोजक बनने का काम होगा। बुनाई के काम में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण देने का काम भी होगा। उसमें विविधता और डिजाइन पर ध्यान दिया जाएगा। कारीगरों को संभावित बाजार तक पहुंचाया जाएगा। उनके लिए सरकार और विभिन्न कंपनियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शनों का लाभ लिया जाएगा। अधोई के बुनकरों और भचाऊ की रबारियों और वादियों में (रबारी समुदाय की बहनों और वादी समुदाय में) अभी काम चल रहा है।

3. सहभागी पुनर्रचना को प्रोत्साहन

'उन्नति' सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायतों और नगरपालिका जैसी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करने का काम कर रही है। गांव, नगर व तहसील के स्तर पर यह काम हो रहा है। पुनर्रचना की प्रक्रिया तय करने हेतु स्थानीय जरूरतों को समझा जाना जरूरी है। सहभागी पद्धति द्वारा यह काम किया जाएगा। विभिन्न हितैषियों के साथ परामर्श करके पुनर्रचना के दौरान अपनाये जाने वाले स्तर और प्रक्रिया के बारे में निर्देश तय किए जाएंगे। तब समुदाय स्वयं तय करेगा कि इन पर अमल हुआ या नहीं। समुदायों को सरकारी नीतियों

या सरकार और समुदायों के बीच की एक कड़ी बनने की भूमिका निभानी होगी। तमाम निर्णयों को मंजूर करने का अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए।

2. ग्राम समितियों में महिलाओं और निम्न जातियों सहित सभी वर्गों के लोग हों। सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों का समावेश पुनर्रचना की परियोजना में होना ही चाहिए।
3. राजगीर, सुथार, कारीगरों व अन्य कुशल मजदूरों को भूकम्प प्रतिकारक मकान बनाने हेतु प्रशिक्षण देना चाहिए। इसी तरह मकान मालिकों को भी बाद के मरम्मत कार्य, संभाल और उपयोग के संदर्भ में प्रशिक्षण देना चाहिए। भूकंप प्रतिकारक तकनीक रहस्यमय नहीं बनी रहनी चाहिए। इस तकनीक के सिद्धांत सरल हैं और लोग आसानी से उन्हें समझ सकते हैं तथा स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ बुनियादी भवन-निर्माण सामग्री तैयार करने हेतु लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
4. शुरूआत में कुछेक निदर्शन इकाइयाँ तैयार की जा सकती हैं। प्रत्येक गांव में पंचायत कार्यालय, शाला या सामुदायिक सभागार जैसे सामूहिक दृष्टि से उपयोगी भवन बनाकर भूकंप प्रतिकारक तकनीक का निदर्शन लोगों के सामने किया जा सकता है।
5. तैयार मकानों के बजाय लोगों की सहभागिता से बनवाए हुए मकानों में रहने के लिए लोग आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसके लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग होना चाहिए क्योंकि (अ) निर्माण सामग्री सांस्कृतिक तथा लोगों की संवेदनशीलता के अनुकूल हो तो स्थानीय समुदाय उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है, (आ) सामग्री बाद में मरम्मत, संभाल और संसाधन-परिवर्धन के लिए मिलती है।
6. भवनों की ऊँचाई निर्माण-कार्य की सामग्री तथा तकनीक संबंधी विभिन्न विकल्प लोगों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिएं ताकि उनको चयन का अवसर मिले। उसमें कई नमूने बाहर के भी

एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। एक वेबसाइट तैयार करके सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस वेबसाइट में संगठनों का विवरण होगा, संवाद बोर्ड होगा, समन्वय बैठकों की अद्यतन सूचना होगी, सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के पैकेज, नीतियों और प्रस्ताव सहित घोषणाएं होंगी।

4. सहकारी नगर आयोजन

भचाऊ में सहभागी नगर आयोजन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पुनर्स्थापन के संबंध में लोग क्या समझते हैं, यह भचाऊ नगर में मालूम किया जा रहा है। विभिन्न समूहों में मतभेद हैं पर यदि नूतन अभिगम के द्वारा नगर पुनः स्थापित करना है तो विभिन्न समूहों के बीच के संघर्षों और संदिग्धताओं को दूर करना होगा। 'भावी शोध परिषद' (फ्यूचर सर्च कांफ्रेस) की पद्धति के द्वारा आम राय बन जाने के बाद नगर आयोजकों एवं वास्तुकारों आदि के साथ परामर्श करके नगर के लिए लोक केन्द्री योजना तैयार कराई जाएगी। पुनर्रचना में लघुतम स्तर सुरक्षित रहे, इस हेतु देखरेख रखी जाएगी।

अहमदाबाद

1. नुकसान का अनुमान और समुदाय का सर्वेक्षण

मकानों को हुए नुकसान के बारे में एक ब्यौरेवार सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उससे लोगों को नुकसान के बारे में वास्तविक अंदाजा लगेगा और बहुत सारी अनिश्चिताएँ और भय दूर होंगे। जिन स्लम क्वार्टर्स को भूकंप से नुकसान हुआ है, उनकी मरम्मत का काम संभव नहीं, ऐसा बताया गया है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की सलाह से एक विवरण तैयार करने की जरूरत हैं। कहीं-कहीं पर स्ट्रक्चरों का पुनर्निर्माण कार्य जरूरी है।

2. सलाह

लोगों को सदमें से बाहर लाने के लिए सलाह (काउन्सिलिंग) की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जिन्हें मनोचिकित्सकों की जरूरत है। इस तरह की सलाह की लगभग छह माह तक आवश्यकता है। बाद में जिनको विशेष जरूरत पड़ेगी, उनको व्यक्तिगत स्तर पर सलाह प्रदान की जाएगी।

3. नेटवर्किंग और हिमायत

पुराने नगर का पुनर्निर्माण कार्य, स्लम क्वार्टर्स के निवासियों की क्षतिपूर्ति तथा शहर के भीतर-बाहर की अनेक संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी है। इसके लिए एक मंच स्थापित करने की जरूरत है, जो आसानी से सूचनाएं एकत्रित करने में उपयोगी हो। इसके लिए एक वेबसाइट बनाना जरूरी है। वह सभ्य समाज में से ही संसाधन जुटाने में सहयोगी होगी।

हो सकते हैं पर संकट के समक्ष टिके रहने वाले घरों के हों तो उन्हें भी प्रस्तुत किया जाए। वर्षा के जल को संग्रह करने की व्यवस्था घर के डिजाइन में होनी चाहिए।

7. पुनर्रचना की प्रक्रिया में गांव का नक्शा और ढांचागत सुविधाएँ बेहतर होनी चाहिए।

स्नेह समुदाय, आशा समुदाय और समुदाय का अधिकार

गुजरात के भूकंप में बच जाने वालों में जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, उनका पुनर्वास परिवारों में और उनके अपने समुदायों में ही हो, इसके लिए गुजरात की स्वैच्छिक संस्थाओं का सम्मिलित प्रयास, अर्थात् 'स्नेह-समुदाय'। समुदाय आधारित पुनर्वास में इसका विश्वास है। इसका मुख्य सिद्धांत संकट में बच जाने वाले पिछड़े लोगों की सँभाल करना, समानता का भाव रखना, राज्य और समाज का उत्तरदायित्व तय करना तथा उनके गौरव और अधिकारों की रक्षा करने का है, 'स्नेह-समुदाय' के आधारभूत मुद्दे निम्न प्रकार हैं:

1. बच जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा कमजोरों में बड़ों की छत्रछाया गँवाने वाले बालकों, विधवाओं सहित एकाकी महिलाओं, विकलांग लोगों तथा वृद्धों का समावेश होता है जिनकी संभाल उनके परिवारों द्वारा नहीं की जाती।
2. जिनका कोई परिवार अब नहीं रहा ऐसे बालकों, महिलाओं और वृद्धों का मात्र शारीरिक अस्तित्व टिका रहे, ऐसे नहीं, वरन् लंबी अवधि तक उनका मानसिक, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास श्रेष्ठ तरह से हो, यह देखने का उत्तरदायित्व सभ्य समाज के संगठनों के सहयोग के साथ राज्य का है।
3. अनाथाश्रमों, नारी-गृहों या वृद्धाश्रमों जैसा संस्था-आधारित पुनर्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। अनुभव पर आधारित अध्ययन दर्शाता है कि अनाथाश्रमों में बालकों का शारीरिक अस्तित्व टिकता है, परंतु परिवारों में व्यक्तिगत स्तर पर जो ध्यान रखा जाता है उसके अभाव में बालकों का संवेदनात्मक और बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। इसी भांति महिलाएँ, विकलांग और वृद्ध भी ऐसी संस्थाओं में अकेलेपन, उपेक्षा और शारीरिक शोषण के शिकार बन सकते हैं। ऐसी संस्थाओं में रहने वाले लोग जीवन भर सामाजिक कलंक का बोझ झेलते हें। अतः उनकी इच्छानुसार परिवारों के अंदर ही समुदाय आधारित पुनर्वास हो सके, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए।
4. जो बालक अपने जन्म से जिस भूमि और समुदाय में रहे हैं, उनको प्राकृतिक आपदा के उपरांत वहां से हटाया न जाए तो उन्हें एक और सदमे से बचाया जा सकता है। जिन अल्पायु शिशुओं को गोद लिया जाता है, उनके सिवाय तमाम बालकों के मामलों में यह सदमा टाला जा सकता है। अतः संकाटापन्न लोग यदि न चाहें तो मात्र परिवारों में ही पुनर्वास नहीं होना चाहिए, वरन् साथ ही साथ यथासंभव उनके अपने समुदायों में ही उनका पुनर्वास होना चाहिए।
5. संकटापन्न लोगों की देखभाल करने का उत्तरदायित्व सामान्यतया राज्य का है, या फिर स्वैच्छिक संस्थाओं का है। उन्हें इसी उद्देश्य से पैसा मिलता है। यहां इस नीति से अलग हटने का प्रयास करना होगा और ऐसे लोगों की देखभाल के लिए सामुदायिक संस्थाओं के सृजन का मार्ग प्रशस्त करना है। तथापि ऐसी सामुदायिक संस्थाओं को पैसा तो राज्य की ओर से ही मिलना चाहिए।
6. भूकंप की विनाश-लीला से पुनर्निर्माण किये जाने की प्रक्रिया में सभी की देखभाल करने वाला सक्षम समुदाय तैयार करने का प्रयास होना चाहिए।

'स्नेह समुदाय' द्वारा इन आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर निम्न उद्देश्य तय किए गए हैं:

1. बच जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा कमजोरों की रक्षा करना। वे हैं बड़ों की छत्रछाया खो देनेवाले बालक, विधवाओं सहित अकेली महिलाएं, विकलांग लोग और वृद्ध। वे परिवार द्वारा की जाने वाली देखभाल से वंचित हो चुके हैं अतः उनके अधिकारों की रक्षा करना।
2. वे सबसे ज्यादा संकटापन्न हैं अतः उनका परिवारों और समुदायों में यथासंभव श्रेष्ठतम पुनर्वास करना।
3. समुदाय के अंदर लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी बढ़ाना।
4. विशेष रूप से आपदा के संदर्भ में ऐसे लोगों के प्रति राज्य की नीति पर प्रभाव डालना।

'स्नेह समुदाय' के द्वारा उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अल्प, मध्यम व दीर्घ अवधि की

कार्यनीतियाँ बनाई गई हैं।

मानसिक सहयोग

'आशा-समुदाय' इन कार्यनीतियों का दूसरा भाग है। इसमें आपदाग्रस्त लोगों के लिए समुदाय आधारित मानसिक सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य है। राहत और पुनर्वास के अधिकांश कार्यों में अधिकांशतया भौतिक बातों को ध्यान में रखा जाता है। यथा -अन्न, आवास, ढांचागत सुविधाएँ। संकट से बच जाने वाले लोगों के शारीरिक अस्तित्व हेतु ये सभी महत्त्वपूर्ण हैं। परंतु पूरे जीवन में लोग सामान्यतया जिन आघातों का अनुभव करते हैं, उनसे कहीं जबर्दस्त आघात बच जाने वाले लोगों ने सहन किया होता है। ऐसे में उन्हें ढाढस बंधाने की और मानसिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अतः 'आशा-समुदाय' प्रभावित लोगों में आशा का संचार करेगा, मावनीय जोश फिर से निर्मित करने का प्रयास करेगा। आपदाग्रस्त लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, यह इस प्रयास का उद्देश्य है। इस कार्य में मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक और सामुदायिक स्तर के सहायक जुड़ेंगे। प्रभावित समुदायों में से ही कुछेक लोगों को प्रशिक्षण देकर सहायक के रूप में तैयार किया जाएगा। उनके लिए साहित्य और सामग्री भी तैयार होगी।

समुदाय के अधिकार

आपदा से बच जाने वाले लोगों के लिए यह सूचना के अधिकार व अन्य अधिकारों हेतु एक जुम्बिश है। अधिकांश आपदाओं के बाद आपदाओं से बच जाने वाले लोगों के अधिकारों और गौरव को हानि पहुंचती है। उनको गौरव विहीन तथा अपनी आकांक्षाओं का हनन करके दान अथवा भिक्षा स्वीकार करने वाले लोगों के रूप में देखा जाता है। अनेक शोषक प्रवृत्तियां भी इस काम में लग जाती हैं, जिनके परिणामस्वरूप संकट से ग्रस्त लोग और ज्यादा गरीब बन जाते हैं। अतएव 'समुदाय का अधिकार' भी एक अभिनव व्यूहरचना के रूप में विकसित की गई मध्यस्थता है।

राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के चरणों के दौरान एक महत्त्वपूर्ण अधिकार पर बल दिये जाने की जरूरत हैं और वह है सूचना का अधिकार। उनको उनके नाम पर सरकार और सभी गैर-सरकारी संस्थाओं के पास आने वाले पैसे के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। इस पैसे के व्यय के बारे में सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए।

राहत और पुनर्वास का अधिकार एक दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। विविध सरकारी परिपत्रों, विज्ञापनों एवं राहत विवरणिकाओं से ये अधिकार फलित होते हैं। इनमें भी शायद ही पारदर्शिता दिखती हो और शिकायतों के निवारण की शायद ही कोई व्यवस्था रहती हो। संकट से बच जाने वालों को राहत और पुनर्वास के सभी स्तरों पर लिये जाने वाले निर्णयों में भागीदार होने का अधिकार है।

इस व्यूह रचना के अनुसार संकट-ग्रसितों को उनके सभी अधिकारों के बारे में सूचना दी जाएगी, वर्तमान अधिकारों में जो भी असमानता होगी, उसके खिलाफ एतराज उठाने या उसका विरोध करने के लिए संकटग्रसितों और स्थानीय संगठनों की मदद की जाएगी। राहत व पुनर्वास के सभी स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनने का संकट-ग्रसितों का मूलभूत अधिकार है। इस संदर्भ में समता और उत्तरदायित्व के संरक्षण हेतु समस्त सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के लिए नीतिगत प्रभाव लागू किया जाएगा।

स्थानीय स्वशासन और पुनर्वास

गुजरात के भूकम्प-ग्रसित इलाकों में अब पुनर्वास कार्य बहुत बड़े स्तर पर शुरू करने की जरूरत और ताकीद के साथ इस काम को पूरा करने की जरूरत है। पुनर्वास का काम राज्य सरकार ताकीद के साथ हाथ में लेगी, ऐसा सरकार के द्वारा बताया गया है। ऐसे में इस कार्य में सरकार के तीसरे स्तर पंचायतों को इसमें शामिल करने की विशेष आवश्यकता है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सरकार मानकर ही भूकंप-ग्रसित इलाकों में पुनर्वास विषयक विकट कार्य में शामिल करना चाहिए। इस संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण मुसीबत यह आ रही है कि गुजरात में बहुत सारे गांवों में पंचायतों का अभी अस्तित्व तक नहीं है। राज्य सरकार ने अकाल के कारण लगभग 9000 ग्राम-पंचायतों में चुनाव स्थगित रखे थे। यदि दिसंबर 2000 में ग्राम-पंचायतों के चुनाव हो चुके होते तो इस समय पंचायतें अस्तित्व में होतीं और इस काम में उनको शामिल कर पाना संभव होता। परंतु जब इस समय अनेक गांवों में ग्राम पंचायतें ही नहीं हैं, तो सचमुच यह काम मुश्किल हो गया है। लेकिन इस संदर्भ में दो मुद्दे महत्त्वपूर्ण हो गए हैं:

1. जिन गांवों में ग्राम-पंचायतें नहीं हैं, वहां ग्राम सभा को पुनर्वास कार्य में शामिल किया जाना चाहिए।
2. जिन गांवों में ग्राम पंचायतें हैं, वहां तो ग्राम पंचायतों को शामिल करना ही चाहिए।

उपरोक्त मुद्दे उल्लेखनीय हैं और पुनर्वास कार्य में इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों के न होने से कितनी बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है, इसके कुछेक उदाहरण देखने योग्य हैं:

1. सुरेन्द्रनगर जिले की पाटड़ी तहसील का विसावड़ी गांव। इस गांव सहित सात गांवों का एक ही प्रशासक है। वे पाटड़ी तहसील पंचायत के आंकड़ा शाखा के अधिकारी हैं। भूकंप के बाद वे गांव में आए जरूर, परंतु सिर्फ पंचायत कार्यालय में ही। संकट से ग्रसित होने वाले लोगों से वे मिले नहीं, न ही वे गांव में हुए नुकसान को देखने स्वयं गए।
2. सुरेन्द्रनगर जिले की पाटड़ी तहसल में धामा गांव है। वहां सरपंच का समय 2.2.2001 को अर्थात भूकंप के बाद पूरा हो गया। वहां एक ग्राम सेवक को प्रशासक नियुक्त किया गया है जो 14 दिनों में सिर्फ एक बार गांव में और वह भी ग्राम पंचायत में आया था।
3. सुरेन्द्रनगर जिले की पाटड़ी तहसील में रोझवा गांव है। वहां नियुक्त प्रशासक भूकंप के बाद 16.2.2001 के दिन गांव में गया था।
4. कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में गांव है नेर। वह पूरी तरह से तबाह हो गया है। उसकी आबादी लगभग 1400 है। वहां का प्रशासक एक दूसरे गांव भरुड़िया का ग्राम सेवक है। भूकंप के बाद वह नेर आया ही नहीं।
5. कच्छ की भचाऊ तहसील का गांव कडोल है। वहां की आबादी लगभग 3000 है। वहां का प्रशासक 12 गांवों के लिए अकेला है। वह भी कडोल गांव नहीं आया। इस गांव का तो पटवारी भी भचाऊ में रहता है। वह भी गांव में नहीं दिखा।

यह परिस्थिति भूकंप के बाद लगभग एक माह तक थी। ऐसे तो कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संभव है कच्छ जिले में तो स्वयं प्रशासक को या उसके मकान को भी नुकसान पहुंचा हो। तब भला वह दूसरे गांव में देखभाल करने कैसे जा सकता है। लेकिन इस सम्पूर्ण परिस्थिति का अर्थ यह निकलता है कि विपत्ति के मौके पर गांवों में कोई तंत्र या तंत्र संभालने वाला व्यक्ति ही नहीं था और जहां ग्राम-पंचायतों का अस्तित्व ही नहीं है, वहां आज भी नहीं है। इसके उपरांत, सरकार ने जो पुनर्वास परियोजना बनाई है, उसको बनाने में कहीं पंचायतों की भागीदारी रही हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। राज्य सरकार ने इस योजना के निर्माण में भूकंप पुनर्वास कार्य दल (ईआरटीएफ) का गठन किया था। पर उसमें प्रभावित जिले या तहसील पंचायतों के प्रमुखों का समावेश नहीं किया। ऐसा समझा जा रहा मानो भारत के प्रजातंत्र में पंचायतों का अस्तित्व ही नहीं है।

राज्य सरकार ने भूकंप ग्रसित इलाकों के पुनर्वास हेतु जो परियोजना 13.2.2001 को घोषित की थी उसमें इस संदर्भ में जो बातें व्यक्त की गई हैं, वे निम्नानुसार हैं:

1. कार्यक्रम में ऊपर से नीचे वाले अभिगम को हटाकर इसके लिए ग्राम सभा का उपयोग किया जाएगा।
2. नई जगहों पर पुनर्निर्माण कार्य में आवश्यक ढांचागत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी तथा गोकुल ग्राम योजना में जो सुविधाएँ प्रदान करने की बात सोची गई हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।
3. पुनर्स्थापना कार्य के लिए एक ग्राम स्तरीय समिति गठित की जाएगी। क्रियान्वयन के दौरान निर्णय प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा।
4. झोंपड़ों में हुए नुकसान का निर्धारण तकनीकी विशेषज्ञों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की टुकड़ियों के द्वारा कराया जाएगा। और उसमें ग्राम सभा को पूरी तरह से साथ रखा जाएगा।

उपरोक्त मुद्दे वास्तव में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई पुनर्निर्माण परियोजना में प्रकट नहीं किये गए वरन् उसकी घोषणा के साथ पुनर्निर्माण परियोजना के जो मुख्य लक्षण प्रकट किए गए, उनमें व्यक्त किए गए हैं। परियोजना की यह एक उल्लेखनीय विशेषता है कि इसमें विकेन्द्रीकरण की बात की गई है। परंतु उपरोक्त मुद्दों में से निम्न महत्त्वपूर्ण मुद्दे प्रकट होते हैं:

1. सम्पूर्ण पुनर्निर्माण योजना में ग्राम, तहसील और जिला पंचायतों का कहीं उल्लेख तक नहीं किया गया है। अतः यह समझ में नहीं आता कि पंचायतों को शामिल किए बिना किस तरह विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। अनेक जिलों की अनेक ग्राम

पंचायतों का अभी अस्तित्व ही नहीं है, पर उन जिलों में जिला पंचायतों और तहसील पंचायतों का तो अस्तित्व है ही, लेकिन उनकी सहभागिता के बारे में कुछ नहीं सोचा गया।

2. गोकुल ग्राम योजना में पंचायतों की सहभागिता अभिप्रेत ही है, पर यह काम वहां कौन करेगा, जहां ग्राम पंचायतें हैं ही नहीं। ऐसे समय ग्राम सभा को उसमें शामिल करना जरूरी है।
3. पुनर्स्थापन के लिए ग्राम स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। इस समिति के काम पर जिला, तहसील या ग्राम पंचायत का कोई अंकुश रहेगा या नहीं? पंचायतों के सदस्य और पदाधिकारी क्या इस समिति के सदस्य बनेंगे?
4. नुकसान के अनुमान के लिए ग्राम सभा को विश्वास में लेने की बात कही गई है। यह बात वाकई स्वागत योग्य है, परंतु ग्राम सभा को इसके लिए सक्षम बनाना पड़ेगा तथा यह आवश्यक है कि सामाजिक भेदभावों को उसमें बाधक न बनने दिया जाए।

पुनर्रचना परियोजना में पैकेज-1 में कहा गया है कि जहां 70 प्रतिशत से अधिक घर नष्ट हुए हैं, वहां अगर ग्राम की ग्राम सभा मांग करेगी तो राज्य सरकार जमीन की व्यवस्था करेगी। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है, पर इस कार्यवाही को वाकई पारदर्शी बनाना चाहिए। ज्यादातर पंचायतों में ग्राम सभा केवल कागजों पर ही है। अगर सरकार भूकंप के कारण ग्राम सभा को वास्तव में सक्रिय करे तो भूकंपग्रस्तों और प्रजातंत्र के लिए यह आशीर्वाद स्वरूप बन सकेगी।

प्राकृतिक आपदा के समय पंचायतों को विविध स्तर पर क्या काम करने हैं, यह बात गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 में लिखी हुई है। ये कार्य इस प्रकार हैं:

1. नियम 99 के अनुसार 'कोई भी प्राकृतिक आपदा आ पड़े, तब संकट ग्रस्तों को सहायता देना' इस प्रकार यह काम ग्राम पंचायत के कुल 106 कामों में से एक काम के बतौर लिखा गया है।
2. नियम 130 के अनुसार 'बाढ़, आग, महामारी व अन्य छोटी-बड़ी प्राकृति आपदा के समय तत्काल मदद पहुंचाना' इस प्रकार यह तहसील पंचायत के कुल 88 कामों में से एक काम के बतौर लिखा गया है।
3. नियम 154 के अनुसार जिला पंचायत को कुल ७३ काम सोंपे गए हैं। उनमें से एक काम इस प्रकार बताया गया है: 'अकाल, अभाव, रेल, आग या भूकंप जैसी प्राकृतिक आफतों के प्रसंग में राहत केन्द्र स्थापित करना और चलाना।'

इन व्यवस्थाओं के अनुसार कितनी ग्राम, तहसील या जिला पंचायतों ने राहत आदि के काम किए हैं, यह एक शोध का विषय है। परंतु हकीकत यह है कि राज्य सरकार मुख्य रूप से पंचायतों को इस मामले में कुछ नहीं गिनती। वास्तव में यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह पंचायतों को ऐसी आपदाओं से मुकाबला करने हेतु सक्षम बनाये। अब राज्य सरकार ने पुनर्रचना परियोजना में विकेन्द्रीकरण के ढंग पर पुनर्रचना करने की बात सोची है, तो संस्थाओं और स्थानीय मंडलों या मंडलियों पर जितना भार डाला जा रहा है, उतना भार, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा भार पंचायतों पर डाला जाना चाहिए, क्योंकि पंचायतें प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक भाग हैं।

उपसंहार

पुनर्स्थापन व पुनर्वास के उपरोक्त मुद्दों को देखने से यह सुस्पष्ट है कि गुजरात के भूकंपग्रस्त अंचलों में घरों या मकानों का ही पुनर्निर्माण नहीं करना, वरन् प्रभावित लोगों की जिंदगी का पुनर्निर्माण भी करना है। इस पुनर्निर्माण में निःसंदेह घर व मकान आवश्यक भौतिक जरूरतें हैं, पर मानसिक पुनर्वास, सामुदायिक पुनर्वास और जीवन निर्वाह की दृष्टि से पुनर्वास के सिवाय लोगों का सम्पूर्ण पुनर्वास संभव नहीं। अतः पुनर्वास के विविध पहलुओं के बीच संबंधों और अंतर्क्रियाओं को समझने की अनिवार्यता पैदा होती है। इस प्रकार, पुनर्स्थापन और पुनर्वास की लंबी अवधि के प्रश्नों का समाधान करने की शुरूआत मानसिक आघात में से लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया से होनी चाहिए। संकटग्रस्त लोग अपनी वेदना व दुःख व्यक्त कर सकें इसके लिए उनको पूरा मौका देना, उनके पुनर्वास का पहला सोपान है।

इस संदर्भ के साथ दत्तक लेने की प्रथा का विरोध होना चाहिए। 'दत्तक लेने' का ज्यादातर यही अर्थ है कि अनाथ बालकों को कानूनन मां-बाप मिलना। यहां विपत्ति की वजह से बहुत बड़ी संख्या में बालक अनाथ बने हों, यह संभव है, पर पूरा गांव, नगर या उसमें रहने वाले समुदाय अनाथ नहीं होते। उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता-

वृद्धि ही उनके पुनर्स्थापन और पुनर्वास का आधार बने, यही अपेक्षित है। अत्यंत नन्हें शिशुओं को दत्तक लिया जाए, इसके अलावा गांवों या नगरों को दत्तक लेने वाली संस्थाएँ बहुत ही अल्प अवधि के लिए अपनी सेवाएँ देती हैं और उसमें मुख्य रूप से मकान या घर जैसी भौतिक जरूरतों के निर्माण पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जब गांवों या नगरों को दत्तक लेती हैं तो घरों या भवनों के पुनर्निर्माण के अलावा ढांचागत सुविधाओं के पुनर्वास और जीवन निर्वाह के क्षेत्र में पुनर्वास के अत्यंत महत्त्वपूर्ण पक्ष उसमें विस्मृत हो जाते हैं। अतः दत्तक लेने की प्रथा को स्वीकृति प्रदान करने की बजाय लोक-भागीदारी के सिद्धांत को स्वीकार करना जरूरी है। इस प्रकार पुनर्स्थापन और पुनर्वास के काम में स्थानीय स्तर से शुरू करके अनेक संस्थाओं की भूमिका शामिल होती है, जहां समग्र प्रक्रिया में लोगों और उनके समुदाय को केन्द्र में रखा जाना है। लोगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ भी उनमें एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण और मौलिक लक्षण यह है कि भारत के लोग कुटुम्बों और समुदायों में जीते हैं, केवल व्यक्ति के रूप में नहीं। अतः उनका केवल व्यक्ति के बतौर नहीं वरन् पारिवारिक और सामुदायिक पुनर्स्थापन भी आवश्यक हो जाता है। परिणाम स्वरूप मात्र भौतिक नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन सर्वग्राही पुनर्स्थापन के महत्त्वपूर्ण पहलू बनने चाहिएं। लोक भागीदारी के बिना और समुदाय आधारित पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के बिना यह संभव ही नहीं। इस प्रकार पुनर्स्थापन व पुनर्वास को मात्र भौतिक मुद्दा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।

पृष्ठ 32 का शेष भाग

- अकाल की स्थिति लगातार तीसरे वर्ष चालू रही है। अनाज, घासचारा और पेयजल की सख्त कमी है। हम अकाल संचालन की प्रवृत्ति को सहयोग प्रदान करने हेतु दाता संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं।
- आयोजन देखरेख और स्थानीय सामुदायिक नेताओं को प्रोत्साहन देने हेतु नव संगठनों को दलितों के सवाल पर सतत सघन सहयोग प्रदान किया जा रहा है। छः संगठनों को कार्यकर्ताओं की अभिमुखता हेतु, प्रवृत्तियाँ और कार्यक्रम तैयार करने हेतु तथा दाताओं के संग उनके संबंध विकसित करने हेतु और आर्थिक व्यवस्था सुगम करने हेतु संस्थागत विकास विषयक सहयोग पूरा प्रदान किया गया।

स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन

- जनवरी माह महत्त्वपूर्ण था क्योंकि समग्र राज्य में 19 से 23 जनवरी, 2001 के मध्य वार्ड सभाएँ आयोजित हुई और तब 26 जनवरी को ग्राम सभा आयोजित हुई। राज्य के पाँच जिलों में काम करने वाले पाँच पंचायत संदर्भ केन्द्रों के द्वारा इन सभाओं में भाग लेने हेतु लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। वे अन्य समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग के साथ आयोजित हुई थीं। महिलाओं और दलितों के संग विशेष सभाएँ सम्पन्न हुई ताकि इन सभाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। इस प्रक्रिया द्वारा समुदाय के साथ और उनके प्रतिनिधियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया गया और अब वे सूचनाएँ ज्ञात करने हेतु पंचायत संदर्भ केन्द्रों पर मिलने आ रहे हैं।
- राजस्थान में पंचायतों के चुनाव हुए एक वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार द्वारा चयनित प्रतिनिधियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार और अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से 'उन्नति' ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। कुल 29 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनको उनकी भूमिका, जिम्मेदारियाँ और पंचायतों की कार्यवाही से जानकार करने का उनका मकसद था। चुनिंदा महिलाओं और दलितों पर विशेष भार डाला गया था।

'चरखा' की प्रवृत्तियाँ

- इन तीन महीनों के दौरान विशेष रूप से भूकंप के बाद के राहत और पुनर्वास तथा गृहनिर्माण के साथ संबंधित प्रश्नों और अकाल की परिस्थिति और उसे नियंत्रित करने के प्रयत्न और महिला सरपंचों द्वारा उठाये गए सवालों पर कुल 30 लेख तैयार कराये गए।
- स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा भूकंप के बाद किए गए प्रयासों को पत्रकारों एवं समाचार संस्थाओं के द्वारा प्रकाशन मिले, इसलिए उन्हें संचार (मीडिया) सहयोग प्रदान किया गया।

पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति कैसी होनी चाहिए?

गुजरात सरकार ने भूकंप ग्रस्त इलाकों में पुनर्रचना और पुनर्वास हेतु पैकेज योजनाएँ घोषित की हैं। इन योजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के अभिप्रायों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ये उनकी मुद्रित टिप्पणियों से तैयार किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, कुल मिलाकर पुनर्रचना और पुनर्वास हेतु राज्य की नीति कैसी होनी चाहिये उस विषय में भी मंतव्य यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

प्रस्तावना

गणतंत्र दिवस के भूकंप के बाद भूकंपग्रस्त इलाकों में लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग पैकेज योजनाए घोषित की हैं। पैकेज नं. 1 संपूर्णतया नष्ट हुए गाँवों के लिए है, पैकेज नं. 2 और पैकेज नं. 3 आंशिक रूप से नष्ट हुए गाँवों के लिए है और पैकेज नं. 4 भुज, भचाऊ, रापर और अंजार को छोड़कर अन्य नगरों के लिए है। ये योजनएं कैसी हैं और कितनी उपयोगी हैं तथा उनमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रभाव कितना है, उसका विवेचन-विश्लेषण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने यहां किया है। उसमें मानव अधिकारों संवैधानिक अधिकारों पुनर्वास के तरीकों और उनके विभिन्न पक्षों, सांस्कृतिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्यों तथा भौतिक जरूरतों की पूर्ति आदि मुद्दों को समेटा गया है।

श्री कीर्ति शाह, अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप, अहमदाबाद

कच्छ और सौराष्ट्र के अर्थतंत्र, बस्तियों और लोगों की प्राथमिक समझ तथा गुजरात के भूकंप के बाद की परिस्थिति के आधार पर पुनर्वास के कार्य हेतु निम्नलिखित 24 मुद्दों की व्यूह रचना अपनाई जानी चाहिए:

1. लोककेन्द्री, सहभागी, संदर्भ संवेदनशील, अल्पव्ययी, समयावधि को ध्यान में रखने वाला चिरंतन पुनर्वास।
2. गांवों, कस्बों और शहरों के पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रतिक्रियाएँ। (क) अहमदाबाद (ख) भुज, भचाऊ, रापर और अंजार (ग) नष्ट हुए और क्षतिग्रस्त हुए गांवों हेतु तीन विभिन्न नीति, कार्यक्रम और सहायता के पैकेज।
3. लघुतम स्थानांतरण।
4. आवास, बस्तियों और ढांचागत सुविधाओं में निवेश का आयोजन इस तरीके से किया जाए कि स्थानीय अर्थतंत्र मजबूत हो और इस पर ध्यान देना कि वर्तमान जरूरतों तथा भावी वृत्तियों के संदर्भ में अल्पावधि एवं दीर्घावधि में रोजगार सृजन की संभावनाएँ अधिकाधिक हों।
5. व्यूहात्मक एवं क्षमतावर्धक सब्सिडी।
6. मकान के देशज स्वरूप, स्थानीय कच्चा माल, निर्माण कार्य की पद्धति और भावी जरूरतों के प्रति संवेदनशील घर की डिजाइन और बस्तियों का ले-आउट। वह बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु, जीवन जीने की आदतों, आर्थिक प्रवृत्तियों, सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपरा और संस्कृति के प्रति उत्तरदायी हो।
7. प्रक्रिया और उत्पादन के बीच वांछित संतुलन।
8. मरम्मत के काम और मरम्मत के विकल्प पर उचित ज़ोर।
9. घरों और बस्तियों के आयोजन और डिजाइन में सौर ऊर्जा का उपयोग तथा वर्षा के जल का संग्रह और उसकी हिफाजत की पद्धतियों का संकलन।
10. निर्णय प्रक्रिया, डिजाइन, आयोजन, क्रियान्वयन और कर्तव्य पर देखरेख में असरदायी सामुदायिक सहभागिता।
11. भूकंप-प्रतिकारक तकनीक इस तरीके से लागू की जाए ताकि वह लोगों के लिए सरल हो। स्थानीय कारीगरों के लिए वह नुकसानदेह न हो तथा स्थानीय निर्माण-कार्य-सामग्री देसी निर्माण-कार्य पद्धति और कौशल को शामिल करने वाली हो।
12. सरकार की भूमिका न्यूनतम हो। वह अनिवार्य रूप से क्षमता बढ़ाने की भूमिका निभाये तथा विभिन्न संस्थाओं और लोगों के बीच समन्वयकर्ता की भूमिका निभाये।

13. हिताधिकारियों की भागीदारी हो और उसमें समुदायों, स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यवसायियों, कंपनियों और निजी क्षेत्र की उचित भूमिका हो।
14. पारदर्शी व्यवस्थाएँ, नौकरशाही अवरोधों की अनुपस्थिति और उत्तरदायी प्रशासन तंत्र।
15. आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के साथ पर्याप्त कामचलाऊ आवास।
16. अर्थतंत्र, जीवन-निर्वाह और रोजगार की पुनर्स्थापना के बारे में प्राथमिकता।
17. गरीबों, असंगठितों और कमजोर लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान।
18. समग्र कर्तव्य-निर्वहन में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता।
19. कम से कम अपव्यय।
20. मलबे का उत्पादक उपयोग।
21. बस्तियों के पुनर्वास हेतु वास्तविकता पर आधारित समयावधि।
22. भूतकाल के अनुभवों से सबक।
23. आपदा संभावित इलाकों में कमजोर मकानों और अन्य निर्माण-कार्यों को मजबूत करने हेतु तकनीकी सहायता, जागृति और शिक्षण।
24. पुनर्वास के आयोजन और कार्यक्रम निर्माण में आपदा के समक्ष दीर्घावधि की तैयारी का समन्वय।

गुजरात में भूकंप का विनाश

1.	प्रभावित जिले	21
2.	प्रभावित तहसीलें	182
3.	प्रभावित गाँव	7904
4.	नष्टप्राय पक्के मकान	1.65 लाख
5.	क्षतिग्रस्त पक्के मकान	4.43 लाख
6.	क्षतिग्रस्त कच्चे मकान	3.00 लाख
7.	नष्टप्राय कच्चे मकान	1.55 लाख
8.	नष्टप्राय झोंपड़े	0.14 लाख
9.	क्षतिग्रस्त झोंपड़े	0.31 लाख
10.	नुकसान का अंदाजा (करोड़ रु.)	
	(क) झोंपड़े	61.82
	(ख) मकान (कच्छ)	629.97
	(ग) पक्के मकान	2009.99

स्रोतः गुजरात के भूकंप ग्रस्त इलाकों के पुनर्निर्माण-पुनर्वास की पैकेज योजना, सूचना विभाग, गुजरात सरकार

विशेष रूप से घरों के निर्माण कार्य और बस्तियों के आयोजन में सौराष्ट्र और कच्छ में निर्माण कार्य की एक खास परंपरा है। स्थानीय तरीके से प्राप्त सामग्री और कौशल का उपयोग करके कम खर्च और सामाजिक दृष्टि से उचित, पर्याप्त उपयोगी और आबोहवा की दृष्टि से अनुकूल घरों का डिजाइन बनाने की, उनका आयोजन करने की तथा मकान बनाने की लोगों की क्षमता का प्रभावपूर्ण सबूत वर्तमान बस्तियों से मिल रहा है। इस प्रदेश में कुशल कारीगर भी हैं। बस्तियों के नमूनों का नगरों और गांवों के अर्थतंत्र के साथ प्राकृतिक संबंध होता है। स्थान का सांस्कृतिक इतिहास बस्तियों में व्याप्त रहता है। प्रदेश की परंपराओं और लोगों के ज्ञान एवं कौशल का सर्जनात्मक उपयोग घरों, गांवों और नगरों के पुनर्निर्माण कार्य कर सकें और उसका लाभ ले सकें, ऐसे संवदेनशील, अनुभवी तथा योग्य अभिमुखताधारी डिज़ाइनरों और आयोजकों को सम्मिलित किया जाना महत्त्वपूर्ण होगा। फिर, निर्माण कार्य में भूकंप और तूफान प्रतिकारक तकनीकी का उपयोग भी महत्त्वपूर्ण है। नव-निर्माण कार्य में वर्षाजल के संग्रह और संरक्षण की पद्धतियों का उपयोग करने की तथा जहां संभव और स्थायी हो वहां सौर ऊर्जा का उपयोग करने का यह अवसर हथिया लेना चाहिए। इस बारे में जरूरी कौशल किसी स्वैच्छिक संस्था या व्यवसायी मध्यस्थ के पास हो ही, यह जरूरी नहीं। इस पहलू पर ज़ोर देने की आवश्यकता है। पुनर्वास में घर बनाने के अधिकांश कार्यक्रम परंपरागत संवेदनशीलता और सहभागिता संबंधी प्रतिबद्धतापूर्ण वचन के साथ शुरू होते हैं, पर उस तरह से वे व्यवहार में नहीं होते। सरकार को इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि इस परिस्थिति का पुनरावर्तन न हो। सहभागिता और परंपरा से सबक लेना आकर्षक विचार है, पर इसे व्यवहार में ढालना मुश्किल है। यह महत्त्वपूर्ण है कि सहभागी आयोजन और डिजाइन हो तथा स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यवसायियों और कारीगरों की जरूरी अभिमुखता विकसित हो और प्रशिक्षण की व्यवस्था हो (1.3.2001 को गुजरात के मुख्य मंत्री को लिखे पत्र से)।

श्री विवेक रावल और सुश्री तारा नायर
'अनुसंधान', अहमदाबाद

सरकार के पैकेज नं. 1 में 70 से अधिक मकान नष्ट होने वाले गांवों का पुनर्स्थापन करने का उल्लेख है। पर प्रतिशत का यह प्रमाण किस तरह तय किया गया? अगर 69 प्रतिशत मलबा दूर किया जा सकता है तो फिर 80 प्रतिशत मलबे को दूर कैसे नहीं किया जा सकता? लातूर में 1998 के भूकंप के बाद जो अन्य गांवों में स्थलांतरण किया गया था, उसमें मात्र 48 प्रतिशत घरों के लोगों ने घरों की गुणवत्ता और भूकंप के समक्ष सुरक्षा और संतोष व्यक्त किया था। जबकि मूल स्थान पर निर्मित किए गए 1.80 लाख घरों के 97 प्रतिशत लोगों ने संतोष प्रकट किया था। यह पैकेज ऐसा संकेत दे रहा है कि ग्राम सभा के सामने गांव का स्थलांतरण संबंधी प्रस्ताव पास करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। नुकसान का प्रारंभिक अंदाजा पटवारी और तहसीलदारों द्वारा लगाया जाता है और वह गांव के पुनर्स्थापन का आधार नहीं बन सकता। यदि ब्योरेवार दिशा निर्देश तैयार नहीं किए जाते और प्रभावित लोगों को वे प्राप्त नहीं होते तो पुनर्वास के कार्यक्रम में लोगों को जोड़ने की बात सिर्फ कागज पर ही रह जाएगी। 'इंदिरा आवास योजना' का अनुभव भी यही दर्शाता है कि स्थानीय राजनीतिक नेताओं और ठेकेदारों की लॉबी धन का दुरुपयोग करती है।

पैकेज नं. 1 में चार प्रकार के लोगों के लिए जमीन का अलग-अलग माप तय किया गया है। इससे धनवान लोगों को ज्यादा लाभ मिले, ऐसा संभव है। सरकार समतापूर्ण ढंग से पुनर्वितरण करना नहीं चाहती, यह स्पष्ट दिखता है। पैकेज नं. 2 और नं. 3 में भूकंप संभावित इलाकों को ध्यान में रखा गया है। पैकेज नं. 2 भूकंप जोन-4 और जोन-5 के लिए है और पैकज नं. 3 भूकंप जोन-3 के लिए है। परंतु भूकंपग्रस्तों को सहायता प्रदान करने के लिए ऐसा वर्गीकरण कोई सच्चा आधार नहीं है। वास्तव में, मकानों के नुकसान के आधार पर जोन बनाने चाहिए, मकान को अपने चिनाई के काम और छत के प्रकार के आधार पर कितना नुकसान हो सकता है, इस आधार पर जोन बनाने चाहिए। पुनर्वास सहायता के लिए यह एक अधिक तार्किक मापदंड है। इस पैकेज में भी नुकसान को प्रतिशत की मात्रा में उपयोग किया गया है, परंतु नुकसान की यह प्रतिशत आधारित मात्रा किस तरीके से तय की गई है? घरों को हुए नुकसान को प्रतिशत की दृष्टि से दिखलाना कितना उचित है? इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर इस पैकेज में कुछ भी नहीं कहा गया। दीवारों और छतों को हुए नुकसान को प्रतिशत की दृष्टि से दिखाना व्यावहारिक नहीं। फिर, जो लोग अपने आप गौरवपूर्ण जीवन जीने लायक नहीं हैं, ऐसे प्रभावित लोगों की तरफदारी की जानी चाहिए। परंतु चिंता की बात यह है कि समाज के समृद्ध वर्ग के लोगों की इस पैकेज में कुछ हद तक तरफदारी की गई है। पैकेज नं. 2 में भूकंप से पहले वाले आकार के आधार पर सम्पूर्णतया नष्टप्राय घरों को इस तरह असमान सहायता दी जाती है। पैकेज नं. 3 में भी यही सवाल खड़ा है। पैकेज नं. 3 में कच्चे घरों या झोंपडों को सरदार आवास योजना के अनुसार पक्के घर बनवाने का अवसर क्यों नहीं प्रदान किया गया? समान प्रभावित लोगों को असमान सहायता क्यों दी जा रही है? इस पैकेज के मुताबिक नुकसान की मात्रा का अंदाजा लगाने का काम सरकारी अधिकारियों और स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की नियुक्त टैक्नीकल टुकड़ी को सौंपा जाएगा। परंतु अगर उनकी क्षमता में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो इस प्रयास में संसाधन व्यर्थ ही नष्ट होंगे। इसके अतिरिक्त, जो घर इस समय खड़े हैं, वे भूकंप के सामने टिके रह सकें, ऐसा बनाने के लिए इस पैकेज में कुछ भी नहीं है। इस तरह इसमे संकट निवारण के महत्त्वपूर्ण पक्षों का समावेश नहीं है।

श्री गगन सेठी, सेंटर फॉर सोशियल जस्टिस, अहमदाबाद

किसी भी देश में एक सर्वस्वीकृत बात यह है कि सारे कानून और नीतियाँ संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। प्राकृतिक आपदा के समय भी यही महत्त्वपूर्ण होता है कि सरकार जो नीतियां तय करती हैं वे संविधान के आमुख में व्यक्त प्रजातंत्र, गैर साम्प्रदायिकता और समाजवाद के सिद्धांतों का प्रतिबिम्ब होती हैं। नीतियां अनिवार्यतया संविधान के आधारभूत ढांचे के आसपास गुंथी होनी चाहिए और मूलभूत अधिकारों तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। राज्य को संविधान की भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के एक अवसर के रूप में इस संकट को समझना चाहिए। राज्य के लिए सामाजिक

परिवर्तन की दिशा में रचनात्मक कदम उठाने का यह एक उत्तम अवसर है, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। अपने नागरिकों का कल्याण हो और नागरिकों को जीवन-निर्वाह के समान अवसर मिलें, यह देखने का उत्तरदायित्व राज्य का है। अतः प्राकृतिक विपदा के परिणामस्वरूप व्यापक विनाश होने की स्थिति में राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि अकाल और अभाव की वजह से नागरिक अपने जीवन से हाथ न धो बैठें। आपदाग्रस्त लोग अपनी जिंदगी का निर्माण करें, इसके लिए उनकी सहायता करना राज्य की जवाबदेही है। सामान्य परिस्थिति में जीवन निर्वाह के अधिकार का अदालत द्वारा पालन नहीं हो सकता, ऐसे में राज्य को यह साफ तौर से बताना चाहिए कि अपने नागरिकों के प्रति उसकी कैसी जवाबदेही है। राज्य के सिवाय कोई अन्य संस्था कुछ बताए और तुच्छ मुद्दों पर चर्चा हो, इसके बजाय राज्य को स्पष्ट तौर से बता देना चाहिए कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोग अपने जीवन जीने के अधिकार से वंचित न हों और राज्य उसमें योगदान देने वाले सहभागी प्राप्त करे। कोई भी नीति - और विशेष रूप से प्राकृतिक संकट की प्रतिक्रिया स्वरूप निर्मित नीति को त्रिस्तरीय सिद्धांतों से उभरा हुआ माना जा सकता है। केन्द्र में जो स्तर है वह सर्वाधिक प्राथमिक है और किसी भी कीमत पर उसका आदर होना चाहिए। वे हैं जीवन जीने के और समानता के अधिकार पर आधारित सिद्धांत। इसके बाद के स्तर पर राज्य नीति-निर्देशक सिद्धांतों से उभर कर आने वाले सिद्धांत हैं। और तीसरे स्तर पर महिलाओं, दलितों, अनाथ और गरीबों जैसे कमजोर वर्गों के अधिकार हैं।

इस नीति में अनिवार्य रूप से दो बुनायादी अधिकारों का पालन होना चाहिए - संविधान की धारा 21 में निर्दिष्ट जीवन जीने का अधिकार और संविधान की धारा - 14, 15, 16 में निर्दिष्ट समानता का अधिकार। लोगों की अत्यंत दुर्बलता को देखते हुए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का प्रयास करे, जो सामान्य संयोगों में नहीं होता। इस सन्दर्भ में व्यवस्थापन हेतु राज्य की नीति निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार बनी होनी चाहिए।

1. राज्य को आय की असमानता न्यूनतम करने का प्रयत्न करना चाहिए और सिर्फ व्यक्तियों के नहीं वरन समूहों के दर्जों, सुविधाओं और अवसरों की असमानता दूर करने का प्रयत्न भी करना चाहिए।
2. सामुदायिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित होना चाहिए ताकि सर्वसामान्य हित श्रेष्ठ तरीके से सुरक्षित रहें।
3. बालकों को स्वास्थ्यप्रद तरीके से विकसित करने और स्वतंत्रता एवं गौरवप्रद परिस्थिति में विकसित करने का अवसर देना चाहिए।
4. बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अपंगता और अभाव की अन्य परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार और काम करने व शिक्षण का अधिकार मिलने की प्रभावोत्पादकता व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए।
5. अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और किसी भी रूप में ऐसा करना प्रतिबंधित है। राज्य को बराबर ध्यान देना चाहिए ताकि इसका क्रियान्वयन हो।
6. कमजोर वर्गों के पक्ष में रक्षणात्मक प्रतिक्रिया देने हेतु संविधान में व्यवस्था की गई है।

इन व्यापक सिद्धांतों को मन में रख कर निम्न पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिएः

1. कोई भी नीति वर्ग या आय को मानदंड मानने वाली न हो, वरन् साधनविहीनों के पक्ष में उसका पलड़ा झुका हुआ होना चाहिए।
2. स्थानांतरण हो तो जमीन, पति और पत्नी दोनों के नाम लिखवाई जानी चाहिए।
3. उच्च मृत्युदर को ध्यान में रखते हुए तथा विधवाओं की समुचित देखभाल न किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य को यह उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए कि उन्हें सम्पत्ति में हिस्सा मिले।
4. भूकंप की वजह से जो लोग बेकार हो गए हैं, उनके लिए राज्य को पर्याप्त प्रबंध करना चाहिए।
5. बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपंग हुए हैं, ऐसे में खास शालाओं, रोजगार के अवसरों और पुनर्वास केन्द्र विषयक राष्ट्रीय अपंगता

नियम की व्यवस्थाओं के अनुसार क्रियान्वयन होना चाहिए।

6. अमूर्त धारणाओं के आधार पर नहीं, वरन् सुव्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर लोगों की धन-सम्पत्ति के अधिकार तय होने चाहिए।
7. हरिजनों की नई बस्तियां गांव के बाहर न करके राज्य को जातीय भेदभाव घटाने का यह मौका नहीं चूकना चाहिए।

राज्य को नीति निर्माण करते समय इस संदर्भ में निम्न परिबलों को ध्यान में लेना चाहिए:

1. नीतिगत ढांचे के अमल हेतु नुकसान का अनुमान नहीं, वरन विगतवार पारिवारिक सर्वेक्षण पूर्व शर्त बनाई जानी चाहिए।
2. जो लोग सबसे अधिक कमजोर हैं उनकी संभाल सबसे पहले करनी चाहिए। अर्थात जो लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं उनकी रक्षा को पहले प्राथमिकता दी जाए, तदुपरांत जिन महत्त्वपूर्ण संसाधनों, ढांचागत सुविधाओं और पद्धतियों पर लोग अवलंबन रखते हैं, उन पर आधार रखा जाए।
3. आपदा निवारण राज्य की विकास नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए तथा कानूनी और संवैधानिक ढांचे का उसके लिए उपयोग होना चाहिए।
4. पारदर्शिता और सबको समाविष्ट करने की नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि नीति के द्वारा प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके।

5. संविधान के दो मूलभूत अधिकारों - जीवन जीने के अधिकार और समानता के अधिकार - पर नीति आधारित होनी चाहिए।
6. संकटग्रस्त व्यक्तियों और समुदायों को सामाजिक-सुरक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए मार्गनिर्देश तय किए जाने चाहिए।
7. यह देखना राज्य का दायित्व है कि स्थानीय सूचना के आधार पर विकसित नए स्तरों पर आधारित ऐसी सामुदायिक सेवाएँ फिर से शुरू हों।
8. स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को वास्तविक रीति से विकेंद्रित बनाने के अवसर का उपयोग करना चाहिए।
9. दलितों, अपंगों, अनाथों और महिलाओं के निमित्त रक्षणात्मक भेदभाव का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री इंदिरा हिरवे, सेंटर फॉर डेवलपमेन्ट अल्टरनेटिव्ज, अहमदाबाद

राज्य सरकार के पुनर्वास और पुनर्रचना पैकेज को देखते हुए कई मामलों में निराशा पैदा होती है:

1. पैकेज बुनियादी रीति से निर्माण कार्योन्मुख ऊपर से नीचे वाला अभिगम धारण करता है। उसमें सभी प्रभावित प्रदेशों के लिए समान स्तर और नियम हैं। लोगों को अपने जीवन के अधिकार की रक्षा करने या उनकी जिंदगी के पुनर्निर्माण का कोई अवसर नहीं। लोग अपनी जरूरतों और चिंताओं को प्राथमिकता प्रदान करें, ऐसा स्थान शायद ही उसमें है। शाला, घरों, मकानों, ढांचागत सुविधाओं आदि का निर्माण कार्य ऊपर से लादा गया है। विशेष रूप से 'दत्तक' लेने के मामले में लोगों को नन्हे व नाबालिग समझा जाता है और दत्तक लेने वाले प्रौढ़ वय के समझे जाते हैं।
2. ग्राम-सभा की बैठकों का उल्लेख किया गया है परंतु लोगों को भागीदार बनाने के लिए संस्थाओं और प्रक्रियाओं का कोई विवरण नहीं दिया गया। ग्राम-पंचायतें अस्तित्व में नहीं हैं, ऐसे में ग्राम सभा अपनी सामूहिक आवाज उठाने में कितनी असरदायी रहेगी, यह कोई नहीं जानता। वास्तव में लोगों और लोक संगठनों के साथ विचार-विमर्श के लिए कोई प्रक्रिया तय नहीं की गई। फिर, स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना सशर्त है, वे उनके आर्थिक सहयोग पर आधारित हैं, अतः पर्याप्त धन न रखने वाली स्वैच्छिक संस्थाएँ पुनर्वास

और पुनर्रचना में खास भूमिका अदा नहीं कर सकतीं।

3. राज्य स्तरीय संस्थाओं ने भी पुनर्वास और पुनर्रचना की प्रक्रिया में व्यवसायियों, निष्णातों, तकनीकी विशेषज्ञों आयोजकों जैसे सभ्य समाज के लोगों को शामिल करने हेतु कोई स्थान नहीं रखा। 'आपदा व्यवस्थापन सत्ता मंडल' में सिर्फ मंत्री और अधिकारी ही हैं। सलाहकार मंडल सलाह देने के अलावा कोई अधिकार नहीं रखता और उसमें सभ्य समाज के सदस्य हैं। लगता है कि सभ्य समाज के साथ विचार-विमर्श किया गया है, यह दिखाने के लिए ही सलाहकार मंडल का निर्माण किया गया है।

प्रस्तावित पुनर्वास और पुनर्रचना के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार होने चाहिए:

1. राज्य इस समय लगातार दूसरे वर्ष अकाल व भूकंप के विनाश के दो संकटों का एक साथ सामना कर रहा है। जो इलाके भूकंप से प्रभावित हुए हैं वे लगभग सभी अकाल-ग्रसित भी हैं। अतः इन दोनों संकटों का सामना किया जा सके, ऐसी कार्यनीति बनायी जानी महत्त्वपूर्ण है।
2. पुनर्वास और पुनर्रचना कोई अल्पतम अवधि में पूरी होने वाली तीव्र प्रक्रिया नहीं है। लोगों के विचारों को ग्रहण करके गंभीरता से कार्यक्रम बनाने हेतु धीरे-धीरे आगे बढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जून महीने से शुरू होने वाले वर्षा काल के संदर्भ में सभी को तत्काल आश्रय मिले। उदाहरण के लिए जून 2001 तक सभी पक्के घरों का निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाएगा। संक्षेप में, पुनर्वास और पुनर्निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बचाव और राहत कार्य की स्थिति को लंबी अवधि के विकास के साथ जोड़ती है।
3. हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के एक अवसर के बतौर पुनर्वास और पुनर्निर्माण को देखा जाना चाहिए। इस समय सरकार ऊपर से नीचे के अभिगम को अपनाने के लिए आतुर है। यह एक आसान विकल्प है। इसमें घरों, मकानों और ढांचागत सुविधाओं का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाएगा। दुर्भाग्यवश, लोगों को इसमें लाभार्थी माना जाता है। हालांकि, पहले के अनुभवों के अध्ययन यह बताते हैं, कि यह अभिगम काम नहीं देता क्योंकि यह लोगों की जरूरतों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देता। इस तरह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु संस्थाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना होनी चाहिए।
4. पुनर्वास और पुनर्रचना इस तरह से होनी चाहिए ताकि सभ्य समाज में गृहनिर्माण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सलाह, आयोजन आदि क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके ज्ञान का उपयोग हो। राज्य स्तर पर व्यापक अभिगम निर्मित करने तथा स्थानीय स्तर पर ब्यौरेवार योजनाएँ व कार्यक्रम निर्मित करने हेतु इस विशेषज्ञता का उपयोग होना चाहिए।
5. पुनर्वास और पुनर्रचना की नीति में पिछड़े गांवों, दलितों, महिलाओं, गरीबों और विकलांगों की विशेष देखभाल को लेकर समता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सामान्य नीतियां और कार्यक्रम इन लोगों की उपेक्षा करते हैं।
6. पुनर्वास और पुनर्रचना की प्रक्रिया पर अनवरत ध्यान रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें प्रवृत्तियों और उसके लिए व्यय किए जाने धन पर नजर रखनी पड़ेगी। इस देखरेख के परिणामस्वरूप पुनर्वास और पुनर्रचना की प्रक्रिया में संशोधन-परिवर्धन होने चाहिए।

श्री राजेन्द्र देसाई और सुश्री रूपल देसाई, नेशनल सेंटर फॉर पीपल एक्शन इन डिजास्टर प्रिपेर्डनेस, अहमदाबाद

1. बचाव और राहत की शीघ्रता का पहला चरण पूरा हो गया है और अब सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को रोजगार सृजन की योजनाओं और कार्यक्रमों की और तत्काल ध्यान देना चाहिए। काम के बदले अनाज जैसी व्यवस्था करनी चाहिए और भूकंपग्रस्त लोगों के लिए जीवन निर्वाह के अवसर जुटाने चाहिए।
2. कच्छ और सौराष्ट्र के भूकंपग्रसित अंचलों में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक पुनर्निर्माण में शामिल प्रत्येक समूह को लोगों के सूचना प्राप्ति के तथा आयोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के अधिकार को मंजूर करना चाहिए। और आयोजन व क्रियान्वयन के हर चरण पर उनको अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य और दाता संस्थाओं में सम्पूर्ण पारदर्शिता और उत्तरदायित्व हो।
3. डिजाइन, आयोजन, स्थल और सामग्री का चयन, सामग्री

की प्राप्ति, निर्माण कार्य और संसाधनों के उपयोग हेतु पूर्व शर्त के बतौर विविध सामाजिक-आर्थिक वर्गों के प्रतिनिधियों के द्वारा सामुदायिक सहभागिता निर्मित की जानी चाहिए।

4. समदाय के भूकंपग्रस्त सदस्यों को कुशल और अकुशल श्रम के मार्फत पुनर्रचना और पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान जुटाये जान वाले जीवन-निर्वाह के अवसरों में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. शहरों, कस्बों व गांवों का यथासंभव स्थलांतरण टाला जाना चाहिए।
6. हर मोहल्ले, वास या टोले और यथासंभव तमाम ग्रामवासियों की सुस्पष्ट सम्मति हो तभी नए स्थान का आयोजन होना चाहिए।
7. समुदाय का आंशिक अथवा अल्पतम स्थानांतरण होना हो तब भी भूमि की जबरन या अन्यायी तरीके से अवाप्ति नहीं होनी चाहिए। हरिजनों, आदिवासियों, घुमन्तू जातियों और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के समुदाय जमीन से अलग-अलग न पड़ जाएं, इसके लिए विशेष रक्षा की जानी चाहिए।
8. ग्रामीण समुदाय को विस्थापित करके या उनको वंचित करके शहरों का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए।
9. पुनर्रचना के आयोजन में गृहनिर्माण के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, जल-प्रदाय, गोचर आदि जैसी सामुदायिक सुविधाओं का समावेश होना चाहिए गांव की पुनर्स्थापना की अंतिम योजना में उनका समावेश होना चाहिए।
10. नए गृहनिर्माण और सामुदायिक पुनर्रचना में भूमि संरक्षण, वर्षा के पानी का अधिकतम संग्रह, सोक पिटों और गंदे पानी के निकास की व्यवस्था तथा समुचित तकनीक के द्वारा पानी व ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने हेतु प्रयास होना चाहिए।
11. सामग्री के चुनाव की बजाय मकान बनाने की तकनीक का चुनाव भूकंप के प्रभाव की मात्रा और स्वरूप को तय करने में एक महत्त्वपूर्ण परिबल है। अतः पुनर्निर्माण में तकनीक का चुनाव अनेक मापदंडों पर आधारित होना जरूरी है। इसमें समुदाय का स्वावलंबन, सामग्री की प्राप्ति और भूकंप प्रतिकारक तकनीक का समावेश होता है।
12. लोगों पर सांचे ढले मकान जबरन नहीं लादे जाने चाहिए। इस तरह विभिन्न प्रकार की तकनीकी और सांस्कृतिक पक्षों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें समाप्त नहीं कर देना चाहिए।
13. सौराष्ट्र के गांवों की भांति, जहां संभव हो नए निर्माण कार्य की बजाय वहां पुराने मौजूदा मकानों को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
14. जहां साधन और धन बाहर से आ रहा हो, वहां बड़ी-बड़ी कंपनियों को नहीं वरन् प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संस्थाओं और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को परियोजना के आयोजन व क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने वाली एक समिति का गठन करना चाहिए।
15. राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संस्था के द्वारा मिले धन या सरचार्ज की राशि को भूकंप संबंधी एक अलग फंड या खाते में जमा करना चाहिए और उसका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।
16. विभिन्न नेताओं की एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति का तत्काल गठन होना चाहिए, जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर आयोजन और क्रियान्वयन पर नजर रखे।

पृष्ठ 30 का शेष भाग

धरती धूजे, जान न जाए

भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में टिकाऊ घर किस तरह बनायें और उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखें, यह बात इस चार पेजी पुस्तिका में अत्यंत सरल ढंग से गुजराती भाषा में सचित्र समझाई गई है। नींव, पत्थर अथवा ईंट, दीवार, दरवाजा और खिड़कियाँ, पट्टियाँ, कमरे की मजबूती, टिकाऊ छत इत्यादि सात शीर्षकों में किस तरह निर्माण-कार्य करायें, नींव किस तरह तैयार करें, दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ और किस तरह रखें, छत किस डिजाइन की और कैसे बनवायें इत्यादि समेत श्रेष्ठ मजबूत घर के क्या लक्षण हैं, ये बाते इसमें समझाई गई हैं। ग्रामीण या शहरी भूकंपग्रस्त मकानों या उनके सिवाय अन्य मकानों के निर्माण संबंधी यह पुस्तिका सभी के लिए उपयोग सिद्ध होगी। प्रकाशकः आनंदी, प्राप्ति स्थानः जी-3, अक्षरदीप-ए, जलाराम-3, सेतु पाणी के सामने, युनिवर्सिटी रोड़, राजकोट-5।

भूकंप ग्रस्त अंचलों में पुनर्वास हेतु 'उन्नति' का प्रयास

भूकंप के बाद 'उन्नति' के द्वारा की गई कार्यवाही और अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ हुई बातचीत के उपरांत **श्री बिनोय आचार्य, श्री भानुप्रसाद मिस्त्री** और **संजय दवे** ने यह लेख तैयार किया है।

भूमिका

26 जनवरी को आए महा विनाशकारी भूकंप के बाद लोगों के द्वारा राहत के काम शुरू किए गए थे। 'उन्नति' को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में काम करने का अनुभव नहीं था। भूकंप के बाद 29 जनवरी को संस्था की आंतरिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह तय किया गया कि एक सहयोगी संस्था होने के नाते 'उन्नति' पहले एक माह के दौरान राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी।

प्रथम माह की कार्यवाही

अपनी भूमिका को स्पष्ट कर लेने के बाद हम काम में लग गए थे। राहत कार्यों में कमियां देखकर उनका समाधान करने, जहां जरूरत पड़े वहां मदद पहुंचाने आदि काम हमने आरंभ किए। हमने अलग-अलग संस्थाओं, वाणिज्य इकाइयों और सरकार के द्वारा आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया था। हम संस्थाओं, वाणिज्य इकाइयों, धार्मिक संस्थाओं, सरकार आदि के सतत सम्पर्क में रहे थे। कौन, क्या सेवा प्रदान कर रहा है, इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। हम जनविकास, जनपथ-सिटिजन इनीशिएटिव तथा आइ.आइ.एम. के कंट्रोल रूम के सम्पर्क में रहे थे। हमने स्वामीनारायण मंदिर के चिकित्सा विभाग तथा भारतीय उद्योग महामंडल (कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज - सीआइआइ) के साथ भी सतत सम्पर्क स्थापित किया था।

भूकंप के पश्चात् अहमदाबाद में ऊंची इमारतें गिरने से बिल्डरों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए, उस ओर सभी का ध्यान गया। परंतु अहमदाबाद के अलग-अलग अंचलों के 25 झोंपड़पट्टी इलाकों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था। वहां के लोगों को बहुत दिनों तक खुले में सोना पड़ा था। उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी, अतः 'उन्नति' के एक प्रवृत्ति केन्द्र 'अहमदाबाद कम्युनिटी फाउंडेशन' ने वहां की जानकारी हासिल करके लोगों को मदद देने का काम किया। इस मुद्दे को प्रकाशित करने के लिए हमने सन्निष्ठ नागरिकों की एक बैठक बुलाई। तदुपरांत तकनीकी सर्वेक्षण भी हुआ। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 'कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' और 'उन्नति' के संयुक्त प्रयासों से स्थानीय अखबारों में उससे संबंधित समाचार प्रकाशित हुए और सरकार इस मामले में मदद के लिए तैयार हुई। हमने अहमदाबाद में भी प्रभावित लोगों की हताशा, आघात, भय, तनाव सम्बंधी शिकायतें दूर करने के लिए अन्तर्नाद, सिविल हॉस्पिटल आदि के द्वारा मनो-सामाजिक सेवा-सुश्रुषा पहुंचाने में सहायता प्रदान की। भूकंप के बाद हमने समुदाय आधारित संवाद के लिए 'थियेटर एंड मीडिया सेंटर' के साथ मिलकर एक मोड्यूल विकसित किया। इस संयुक्त प्रयास के द्वारा 'पछी अमे तो छुट्टा' (फिर हम तो छुट्टे) नामक एक नुक्कड़ नाटक भी तैयार किया। अहमदाबाद के अलग-अलग इलाकों में नाटक प्रयोग करके हमने लोगों को अपनी हताशा दूर करने के लिए, दुःख व्यक्त करने तथा मानसिक आघात में से बाहर आने के लिए मंच प्रदान किया। समुदाय आधारित संवाद के दौरान जिन लोगों को मानसिक सार-संभाल की जरूरत हो, उनको वहां उपस्थित

विशेषज्ञ पहचान कर उन्हें मनो-सामाजिक सुश्रुषा प्रदान करेंगे।

भूकंप के बाद रोजाना हम ई-मेल के द्वारा अपने भारत एवं भारत से बाहर रहनेवाले मित्रों को तत्काल ताजा से ताजा जानकारी भेजते रहे थे। इसके आधार पर मदद देने के इच्छुक हमारे भारतीय और विदेशी मित्रों ने हमसे सम्पर्क स्थापित किया और राहत भेजी। मित्रों और मित्र संस्थाओं के द्वारा भेजी राहत सामग्री को समग्र गुजरात के प्रभावित 50 गांवों में पहुंचाया था। हमें अपनी इस कार्यवाही से बहुत संतोष है।

एक माह के बाद

भूकंप के एक माह बाद हमने फिर से अपनी भूमिका के बारे में विचार किया। हमने अपनी क्षमता की खोजबीन की। अलग-अलग इलाकों में होने वाले कार्यों का निरीक्षण किया। तदुपरान्त हमने क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) करने का निश्चय किया। सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय संबंधी हमारी समझ एवं कार्यों से हमें क्षेत्र कार्य में प्रवेश करने की प्रेरणा मिली। एक्शन एड के निर्देशक श्री हर्ष मंदर के साथ की चर्चा से अनाथ बालकों, विधवा महिलाओं, अपंग व्यक्तियों तथा समाज के वंचित और दलित लोगों के साथ काम करने की हमारी समझ और ज्यादा विकसित हुई। हम 'स्नेह समुदाय' (स्नेह समुदाय संबंधी सम्पूर्ण जानकारी इसी अंक के 'विकास विचार' विभाग में दी गई है) के साथ भी जुड़े हुए हैं। 'स्नेह समुदाय' से बहुत सारी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। एक्शन एड द्वारा 'स्नेह समुदाय' को सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे सेवा कार्य में गुजरात व राजस्थान की हमारी सहभागी संस्थाओं का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला था। अगर हमें उनका सहयोग प्राप्त न हुआ होता तो हम क्षेत्र कार्य न कर सके होते। इस सेवा के साथ-साथ हमने एक विशेषज्ञ संस्था (रिसोर्स एजेंसी) के रूप में भी भूमिका अदा की है। हमने यूनिसेफ और अन्य संस्थाओं के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया। हमने चिकित्सकों और मनोसामाजिक सेवा-सुश्रुषा के विशेषज्ञों से सम्पर्क करके प्रभावित लोगों तक उनकी सेवा पहुंचाई थी।

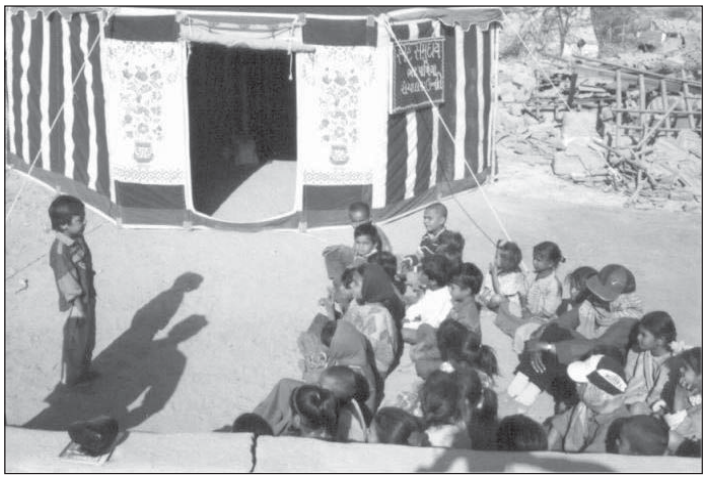

निम्हान्स, बेंगलूर और एक्शन एड (भारत) के संयुक्त उपक्रम से उड़ीसा के तूफान के दौरान अंग्रेजी में प्रकाशित मनो-सामाजिक सार-संभाल विषयक मार्गदर्शिका का हमने भूकंप के परिप्रेक्ष्य में गुजराती रूपांतर तैयार किया। इसके अलावा, प्रभावित इलाकों में लगाने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास संबंधी पोस्टर भी तैयार कराये। उसके बाद अपनी वर्तमान प्रवृत्तियों से संबंधित निम्न प्रकार के चार कार्यक्रम तय किए:

1. समुदाय आधारित पुनर्वास

यह सेवा हमारे 'स्थानीय प्रयासों को सहयोग' कार्यक्रम से संबंधित है। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा पिछड़े और वंचित लोगों को प्राथमिक जरूरतें पूरी करने हेतु हम प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम स्थानीय स्वयं सेवक तैयार करके उनको इस सेवा कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे समग्र प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाली अपनी भूमिका को हम अच्छी तरह निभा सकेंगे। हम चाहते हैं कि स्थानीय स्वयं सेवक ही समुदाय की सेवा का सारा कार्यभार संभाल लें। भचाऊ नगर में जूनावाडा और नानी चिराई गाँव में दलित युवक समुदाय आधारित पुनर्वास संबंधी सेवा को संभालने के लिए तैयार हुए हैं। इस तरह तैयार होने वाले स्थानीय नेतृत्व और संगठन

सामाजिक न्याय एवं लोक सहभागिता के साथ पुनर्वास की प्रक्रिया करेंगे। 'उन्नति' ने वंचितों और दलितों हेतु आजीविका और आवास उपलब्ध कराने संबंधी जो आयोजन किया है, वह समुदाय को साथ रखकर ही किया है।

2. आजीविका उपलब्ध करना

यह प्रवृत्ति भी हमारे 'स्थानीय प्रयासों को सहयोग' कार्यक्रम से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम स्थानीय उत्पादकों (बुनकर, कढ़ाई, कसीदा कारीगर आदि) को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम स्थानीय उत्पादकों को सहकारी भावना से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रोजगार गँवा देने वाले कला कौशल में दक्ष कारीगरों को साधन, तकनीकी मदद और कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु हम उनकी मदद कर रहे हैं। उसमें हम कल्याण की भावना से नहीं, वरन् प्राथमिक उत्पादकों की रोजगार-लक्षी प्रवृत्तियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यरत हैं। भचाऊ नगर और भचाऊ तहसील के 10 गाँवों में हम आजीविका उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।

3. सहभागी नगर आयोजन (भचाऊ)

यह प्रवृत्ति हमारे 'स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन' कार्यक्रम से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम भचाऊ नगर के स्वशासन को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यरत हैं। भचाऊ नगर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में नगरपालिका व तमाम हितैषियों को जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अल्पकालिक लाभ के बजाय भविष्य को ध्यान में रखकर हम सार्वत्रिक विकास करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

4. संस्थाओं की पारस्परिक जुड़ावट को प्रोत्साहन

यह प्रवृत्ति हमारे 'स्थानीय स्वशासन' कार्यक्रम के जैसी ही है। हाल ही में भूकंप से प्रभावित गाँवों के पुनर्वास के लिए तैयार होने वाली सरकारी नीतियों और आयोजन में पंचायतों को निष्कासित कर दिया गया है। अतः पुनर्निर्माण प्रक्रिया में पंचायतों को भी शामिल करवाने के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। इस विषय में सघन कार्यवाही करने हेतु हमने भचाऊ में अपना कार्यालय खोला है। आफत की इस घड़ी में सीधे-सीधे काम करने का हमारा यह पहला अनुभव होने से यह मानो हमारे लिए तीर्थस्थल बन गया है। हम रोजाना नया सीखते थे, नया दृष्टिकोण प्राप्त करते थे, लोगों को तकलीफें सहन करते देखते थे। अलग-अलग संस्थाओं द्वारा होने वाले विविध कार्यों को हमने देखा। परिणामतः प्रत्येक काम की प्रस्तुति, सावधानी, प्रभाव आदि को हम समझ पाये हैं। परंतु आफत की इस परिस्थिति में काम करने के बाद हमें लगता है कि पूर्व में तूफान, बाढ़ और अकाल जैसे संकटों में हम वैसी भूमिका नहीं निभा पाए थे जैसी अर्थपूर्ण भूमिका अब हमें निभानी है। आज एक सहयोगी संस्था के रूप में हमारी स्पष्ट भूमिका है। पुनर्वास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में रहने का हमारा आयोजन है। इसके लिए हमारे भचाऊ और अहमदाबाद के कार्यालय सतत कार्यरत रहेंगे। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अपने मूल ध्येय और कार्यों में बदलाव किए बिना अपनी भूमिका को अधिक मजबूत करने हेतु आपकी प्रतिक्रियाओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं।

सुश्री एलिस गर्ग और सुश्री आशम्मा को वर्ष 2000 का नीरज़ा भनोत पुरस्कार

बाल रश्मि सोसायटी, जयपुर, राजस्थान की सुश्री एलिस गर्ग व आंध्र प्रदेश की सुश्री आशम्मा को नीरज़ा भनोत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीरजा भानोत पुरस्कार युवा व बहादुर विमान परिचारिका नीरज़ा भनोत की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। उन्होंने 1986 में कराची हवाई अड्डे से अपहरण किए गए पैन एम विमान के सैंकड़ों यात्रियों की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी। वीरता के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'अशोक चक्र' प्राप्त करने वाली वे एकमात्र महिला हैं। नीरज़ा भनोत पुरस्कार में 1,50,000 रु. नगद, एक ट्राफी और एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है। सुश्री गर्ग राजस्थान में महिलाओं के शारीरिक शोषण, उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा से लड़ने का कार्य कर रही हैं। इसके लिए उन्हें कई तरह के सरकारी दमन एवं अत्याचार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वे और उनकी टीम निडर होकर इस कार्य को अंजाम दे रही हैं।

सुश्री आशम्मा एक जोगिनी एवं अनुसूचित जाति की महिला हैं। उन्होंने जोगिन बनाए जाने के कारण स्वयं पर हुए अत्याचार से सबक लेकर इस प्रथा के विरुद्ध कार्य प्रारंभ किया। अब तक वे कई बालिकाओं को जोगिनी बनने से बचा चुकी हैं। इसके लिए उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अशिक्षित आशम्मा इस समय 'संघम' की नेता हैं।

गतिविधियां

सुरेन्द्रनगर जिले के मुलाडा गाँव में जन-सहभागिता से 32 मकान तैयार हुए

सुरेन्द्रनगर की पाटड़ी तहसील के मुलाडा गाँव के लोगों ने अपने ढहे हुए मकानों के लिए सरकारी सहायता की प्रतीक्षा किए बगैर ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिनों और मानसून की वर्षा से बचाव के लिए आवासों का एक अत्यंत अनुकूल मॉडल विकसित किया है। लोगों को ऐसे मकान बनाने का मार्गदर्शन स्थानीय स्वैच्छिक संस्था 'स्वाति - स्त्री विकास एवं तालीम संस्था' ने दिया है। 'स्वाति' संस्था सुरेन्द्रनगर के गाँवों में विगत सात वर्षों से कार्यरत है। लोगों ने संस्था के साथ मिलकर और विचार-विमर्श करके 12' – 15' आकार के एक कमरे वाला यह मकान फिर से उपयोग में भी लाने जाने वाली स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से बनाया है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि लोग बाह्य तकनीक की अत्यल्प सहायता से स्वयं मकान बना सकते हैं। लोग अपने ढहे हुए मकानों के पत्थर, खपरैल आदि का नए मकान की चिनाई में उपयोग करते हैं। नए मकान का खर्चा 5,300 रु. होता है। इसमें से 2,300 रु. का योगदान लोग सामान के रूप में देते हैं। शेष राशि का प्रबंध 'स्वाति' के द्वारा किया जाता है। अभी तक मुलाडा गाँव में ऐसे 32 मकान तैयार हो चुके हैं और दूसरे 150 मकान निर्माणाधीन हैं।

मार्च माह के अंत तक गाँव के कुल 225 मकान तैयार कर देने के लिए सभी कटिबद्ध हैं। सिर पर छत डल जाने से अब लोग शांति, समझ और विचारपूर्वक अपने पुनर्वास के प्रश्न को स्वयं हल कर सकेंगे। अन्न, वस्त्र और दवाओं की तत्काल सुविधा मिलने के पश्चात् उनके आवास का क्या होगा? यही प्रश्न आज लोगों को और सरकार को परेशान कर रहा है। इस संदर्भ में 'स्वाति' संस्था और लोगों के द्वारा विकसित यह अल्प अवधि में निर्मित आवास एक नया रास्ता दिखाता है।

पताः बी-2, सनराइज एपार्टमेन्ट, डॉ. एस. राधाकृष्ण मार्ग, अहमदाबाद-15, फोनः 6443610.

मध्य प्रदेश में काला कानून

मध्य प्रदेश की विधानसभा ने किसी अर्थपूर्ण चर्चा या संवाद के बिना 'मध्यप्रदेश विशिष्ट क्षेत्र सुरक्षा मसौदा 2000' दि. 27.11.2000 को पारित कर दिया। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। कई लोक संगठनों और नक्सलवादियों की गैर-कानूनी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए यह मसौदा बनाया गया है। परंतु यह मसौदा लोगों के ज्यादा ध्यान में नहीं आया। उसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:

1. किसी भी संगठन या जन समूह प्रवृत्ति के गैर कानूनी घोषित होने से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
2. लोगों के अनौपचारिक समूह से लेकर मजदूर मंडलों समेत संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पंजीकृत संगठन न हो तब भी यह कानून उन पर लागू हो सकेगा।
3. जिन प्रवृत्तियों को गैर कानूनी माना गया है उनकी सूची सामान्य प्रकार की है। उदाहरणार्थ, कानून और व्यवस्था या शांति भंग करने वाली प्रवृत्ति अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में अवरोध डालने वाली प्रवृत्ति इत्यादि।
4. प्रतिबंध के लिए सरकार को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
5. संगठन या समूह को प्रतिबंध के खिलाफ अपनी सफाई पेश करने का अवसर नहीं होगा।
6. मात्र प्रतिबंधित संगठनों या समूहों या उनके सदस्यों पर ही नहीं, वरन् उनको किसी भी रूप में सहायता देने वाले पर भी यह कानून लागू होगा।
7. प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों और उनके सहयोगकर्ताओं को तीन वर्ष तक के कारावास का दंड किया जा सकता है।
8. प्रतिबंधित संगठन या समूह की तमाम चल या अचल सम्पत्ति को जप्त करने की व्यवस्था है।
9. जिला कलैक्टर और पुलिस अधीक्षक को असीमित अधिकार दिए गए हैं।
10. प्रतिबंध के खिलाफ 15 दिनों में सलाहकार बोर्ड के समक्ष

अर्जी दी जा सकता है।

11. इस प्रारूप के अधीन सरकार कोई भी आदेश दे तो उपरोक्त अर्जी के सिवाय कोई भी अर्जी, रिवीजन अर्जी नहीं हो सकेगी। व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही संविधान की धारा 226 और 32 के अनुसार जा सकता है।

इसके प्रयोजन में नक्सलवादी संगठनों की गैर-कानूनी प्रवृत्तियों को रोकने हेतु इस कानून के बनाने की बात कही गई है। परंतु जो लोग आम जनता के मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ भी आसानी से इसका उपयोग हो सकता है।

जिन छह प्रवृत्तियों को गैर-कानूनी कहा गया है उनमें से एक प्रवृत्ति नक्सलवाद कही जा सकती है। और वह है लोगों में भय पैदा करने हेतु हिंसक और आतंकवादी मार्गों का उपयोग करना अथवा शस्त्रों और विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करना। अन्य जिन प्रवृत्तियों को गैर कानूनी माना गया है उनकी व्याख्या नितांत सामान्य है। यथा - सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा, शांति भंग, कानून के शासन या ऐसी संस्थाओं या कार्यकर्ताओं के कार्य में अवरोध डालना अथवा ऐसी वृत्ति रखना इत्यादि। इसका उपयोग किसी भी लोक-संगठन के खिलाफ हो सकता है। ये कोई आतंकवादी कृत्य नहीं हैं और अहिंसक तथा लोकतांत्रिक मार्गों से लोगों की समस्याएँ व्यक्त करने का प्रयत्न करने वाला कोई भी संगठन इस कानून के दायरे में आ सकता है। ऐसे दमनकारी कानून वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के संदर्भ में सभी राज्यों में हो सकते हैं। आंध्रप्रदेश में तो ऐसा एक कानून बनाया गया है। लोक-संगठनों और मजदूर मंडलों आदि के लिए यह एक चेतावनी के समान है। इसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित किया जा सकता है। राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के समक्ष फैक्स संदेश के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा सकता है। फैक्स. नं. इस प्रकार हैंः राष्ट्रपति 011-3017290, 3017824, 3017077 राज्यपाल,

स्वैच्छिक संगठनों हेतु लघु अनुदान कार्यक्रम

ग्लोबल एन्वायर्नमैन्ट फेसिलिटी (जीईएएफ) और कंट्री कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क इंडिया (सीसीएफआई) द्वारा संयुक्त रूप में यह कार्यक्रम चलाया जाता है। यह कार्यक्रम विश्व पर्यावरण के विरुद्ध खतरों को घटाने वाले समुदाय-आधारित अभिगम वाली प्रवृत्तियों को सहायता देता है। 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (यूएनडीपी) के द्वारा 1992 में इस कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी। यू.एन.डी.पी. और भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन होता है और 'सेंटर फॉर एन्वायर्नमैन्ट एज्युकेशन' (सीईई) के द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है। लघु अनुदान कार्यक्रम (स्माल ग्रांट्स प्रोग्राम) संगठनों की इन तीन बातों के साथ संबंधित प्रवृत्तियों हेतु अनुदान प्रदान करता हैः **1.** भूमि संचालन, **2.** जल संचालन, **3.** जैव विविधता का संरक्षण। जलवायु में परिवर्तन और अतर्राष्ट्रीय जल समस्याओं संबंधी सभी अनुरोधों पर विचार किया जाएगा।

इसमें निम्न प्रवृत्तियों को सहायता दी जाएगीः

1. निर्धारित विषयों में नवीन स्थानीय प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहन देना।
2. चिरंतन विकास की व्यूह रचनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय क्षमता तैयार करना।
3. यह बताना कि एक स्थान पर हुआ काम दूसरे स्थान में भी हो सकता है और कार्य का विस्तार हो सकता है।
4. पर्यावरणीय प्रश्नों के विषय में जन जागृति विकसित करना।
5. जीवन-निर्वाह एवं स्त्री पुरुष भेदभाव के प्रश्नों पर ध्यान देना।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु रु. 15 लाख का अनुदान मिल सकता है। विशेष स्थिति में प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिक राशि के अनुदान पर भी विचार किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, लोक-संगठन, युनिवर्सिटी, शालाएँ, स्थानीय सहकारी मंडल इत्यादि इसके लिए अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं। महिलाओं को संसाधन संचालकों के रूप में सम्मिलित किया जाए, आपने ज्ञान और परंपरागत व्यवहारों के लिए आदिवासियों को शामिल किया जाए और अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु संबंधित संबंधित संरचना को शामिल किया जाए, ऐसे संगठनों और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन 4-5 पृष्ठों का होना चाहिए और दो वर्ष का होना चाहिए।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

सुश्री माधवी जोशी, प्रोग्राम कोर्डिनेटर, सेंटर फॉर एन्वायर्नमैन्ट एज्युकेशन, नेहरु फाउण्डेशन फॉर डेवलपमैन्ट, अहमदाबाद-380054, फोनः 079- 6858002 - 6858009, फैक्सः 079-6858010, ई-मेलः cee@ad1.vsnl.net.in.

श्री राजेन्द्र देसाई और श्री रूपल देसाई को ए.एस.आर्य - रुड़की युनिवर्सिटी एवार्ड

अहमदाबाद के नेशनल सेंटर फॉर पीपल्स एक्शन इन डिजास्टर प्रिपेर्डनैस के श्री राजेन्द्र देसाई और सुश्री रूपल देसाई को ए.एस.आर्य-रुड़की युनिवर्सिटी डिजास्टर प्रिवेन्शन एवार्ड संयुक्त रूप में प्रदान किया गया है। इस एवार्ड में रु. 50,000 नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में आपदा-निवारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु यह एवार्ड हर दो वर्ष में प्रदान किया जाता है।

दांई ओर से राजेन्द्रभाई, रूपलबहन और आर्य दंपति

श्री राजेंद्र देसाई और सुश्री रूपल देसाई के मार्गदर्शन में उनकी टीमों ने उत्तरांचल के चार जिलों के 125 गाँवों में भूकंप के बाद मकानों की सुरक्षित मरम्मत और उनको मजबूत बनाने हेतु जन-जागृति का काम हाथ में लिया था। मार्च 1999 में चमोली में आए भूकंप के बाद यह काम किया गया था। इसी भाँति लातूर के भूकंप के बाद छः वर्षों तक वहाँ कारीगरों को प्रशिक्षण देने का काम उन्होंने किया था। महाराष्ट्र के तीन जिलों के 700 इंजीनियरों की भी इन्होंने प्रशिक्षण दिया था। इन्होंने ऐसे प्रयास किए कि सरकार पर निर्भर रहने बजाय लोग स्वयं भूकंप प्रतिकारक घर बनाएँ।

सितंबर 2000 के भूकंप के बाद भावनगर में भी इन्होंने जनजागृति अभियान हाथ में लिया था और कारीगरों व ठेकेदारों प्रशिक्षण दिया था। इससे भावनगर के लोगों में घबराहट कम हुई। कच्छ के हाल के भूकंप के बाद इन्होंने व्यापक स्तर पर भूकंप प्रतिकारक मकानों के बारे में जानकारी फैलाने और पुनर्वास कार्यक्रम में सामाजिक-आर्थिक पक्षों और तकनीकी पक्षों के बारे में जानकारी का प्रचार कार्य किया है। ये राज्य के विविध भूकंपग्रस्त इलाकों में कारीगरों को प्रशिक्षण देने का आयोजन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेशः 0755-3633273; राष्ट्रीय मानवाधाकिर आयोगः 011-3340016; मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेशः 0755-540501.

वैश्वीकरण और उदारीकरण के विरोध में रैली

अहमदाबाद में दि. 29.3.2001 को 'जन संगठन मंच' के तत्वावधान में विभिन्न 63 मजदूर मंडलों, किसान मंडलों तथा युवाओं और महिला मंडलों ने एक विशाल रैली आयोजित करके भारत सरकार और गुजरात सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के प्रति विरोध व्यक्त किया था। रैली के बाद सरदार बाग में एक सार्वजनिक सभा आयोजित हुई। इस रैली में उमरगाम और पोशित्रा में निर्माणाधीन बंधरगाह के विरुद्ध विरोध करने वाले स्थानीय लोग भी सम्मिलित थे। वलसाड़, सूरत, वड़ोदरा, पालीताणा के किसान नेताओं ने इस सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। उन्हों ने भारत सरकार की मुक्त व्यापार नीति और वैश्वीकरण की नीति का विरोध किया और बताया कि ये नीतियाँ मजदूरों और किसानों के हित के विरुद्ध हैं।

पोशित्रा बंदरगाह से प्रभावित किसानों का कंपनी के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र

जामनगर जिले की ओखा मडंल तहसील में पोशित्रा बंदरगाह का निर्माण एक निजी कंपनी के द्वारा हो रहा है। इस बंदरगाह की स्थापना के लिए पोशित्रा पोर्ट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लि. नामक कंपनी गठित की गई है। इस कंपनी के अध्यक्ष को पोशित्रा बंदरगाह से प्रभावित होने वाले ओखा मंडल तहसील के किसानों ने एक आवेदन पत्र सौंप कर यह बंदरगाह न बनाने और इस बारे में गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है और लिखा है कि वे प्राण दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। ओखा मंडल तहसील के 17 गाँवों की जमीन संपादित करने की कार्यवाही शुरू की गई है। इस कार्यवाही को तत्काल बंद करने के लिए इस आवेदन पत्र में चेतावनी दी गई है। आवेदन पत्र में जो मुद्दे प्रस्तुत किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

1. पोशित्रा बंदरगाह की तमाम कार्यवाही स्थानीय लोगों को अंधेरे में रखकर की जा रही है। इस बारे में लोगों को

विश्वास में नहीं लिया गया, जो अनुचित है।

2. प्रोजेक्ट से लोगों का विकास कैसे होगा? प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक शिक्षण और तकनीकी ज्ञान का अभाव है, अतः स्थानीय लोगों को उससे कोई लाभ नहीं होगा।
3. किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते क्योंकि जमीन उनकी आजीविका का एक मात्र साधन है। फिर, इस जमीन के लिए उनके पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष किया था और पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। अतः धरती माता का सौदा करने के लिए किसान तैयार नहीं हैं।
4. ओखा मंडल के निवासियों के सगे-संबंधी ओखा मंडल के अलावा कहीं और नहीं हैं। उनकी संस्कृति, भाषा, जीवन-शैली भिन्न प्रकार की है अतः वे अन्यत्र बस नहीं सकते।
5. ऐसा कहा जाता है कि ओखा मंडल की जमीन क्षार वाली है। लेकिन इसी इलाके में एक किसान ने गत वर्ष कपास, मूंगफली और मिर्चों का 1 लाख रु. का उत्पादन किया था। उसमें 70 प्रतिशत शुद्ध लाभ हुआ था और 30 प्रतिशत ही लागत आई थी।

जिला कलैक्टर को जो आवेदन पत्र दिया है, उसमें दो मुद्दों को अधिक विस्तार से लिखा गया है। आवेदन पत्र पढ़ने से ज्ञात होता है कि पोशित्रा के लोगों ने जो 'कृषक एवं ग्राम हित रक्षक समिति' गठित की है, उसके द्वारा लिखित रूप में उठाए गए एतराज़ का उत्तर तक देने की जरूरत न कंपनी के अधिकारियों ने समझी, न जिला कलैक्टर ने। इस आवेदनपत्र में बताया गया है कि पोशित्रा, शामलासर, हमोसर, गोरियारी, मूळवेल, खर्तुबा ना मुवाड़ा, नागेश्वर और रंगासर आदि गांवों को भूकंप से बहुत नुकसान हुआ है, तब जिस प्रयोजन से भूमि संपादित की जाती है, उस हेतु से यह भूमि अनुकूल नहीं।

पछी अमे तो छुट्टा (फिर हम तो छुट्टे)

'उन्नति' के द्वारा संचालित 'अहमदाबाद कम्युनिटी फाउण्डेशन' और 'थियेटर एंड मीडिया सेंटर' के तत्वावधान में यह डेढ़ घंटे का एक नाटक तैयार किया गया है। इस नाटक की प्रस्तुति इस बारे में है कि भूकंप के कारण टूट कर गिरे मकानों की जिम्मेदारी किसकी है। नगर आयोजन विभाग के अधिकारियों, शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों, बिल्डरों, कांट्रेक्टरों, सरकारी अधिकारियों और लोगों की जिम्मेदारी कमजोर निर्माण कार्य में कहाँ-कहाँ है

'गणतर' को साने गुरुजी कथामाला पुरस्कार

गुजरात में बाल अधिकारों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संस्था 'गणतर' को हाल ही में 'अखिल भारतीय साने गुरुजी कथामाला पुरस्कार' दिया गया है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी साने गुरुजी के द्वारा बालकों हेतु शुरू की गई कथामाला की प्रवृत्ति गुरुजी के निधन के बाद भी पचास वर्षों से चलती रही है। इस कथामाला के उपक्रम से प्रतिवर्ष विगत सात वर्षों से रु. पच्चीस हजार, सम्मान पत्र और शाल ओढ़ा कर एक व्यक्ति और एक संस्था का सम्मान किया जाता है। गुजरात के हिस्से में यह एवार्ड पहली बार आया है। जस्टिस धर्माधिकारी की अध्यक्षता में नियुक्त निर्णायक समिति ने गुजरात में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत 'गणतर' संस्था को यह पुरस्कार प्रदान किया। जाने-माने अभिनेता श्री अमोल पालेकर साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर हैं। गुजरात की सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकत्री सुधाबहन बोड़ा भी ट्रस्ट से सम्बद्ध हैं।

पुरस्कृत संस्था 'गणतर' के द्वारा अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर और पाटण जिलों के 20 से अधिक गाँवों में वंचित समुदाय के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु वैकल्पिक शाला का प्रयोग चल रहा है। देश के सबसे ज्यादा पिछड़ी हालत में जीने वाले लोगों में से अगरिया, पढार, कोळी आदि के बालकों को शिक्षा देने का महत्त्वपूर्ण काम 'गणतर' के द्वारा हो रहा है। 'बाल मजदूरी विरोधी राष्ट्रीय अभियान' का पक्षधर केन्द्र 'गणतर' से कार्यरत है। 'गणतर' बाल मजदूरी विरोधी अभियान के साथ सक्रियता से सम्बद्ध है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में कथामाला के अखिल भारतीय चौंतीसवें अधिवेशन में 'गणतर' के श्री सुखदेव पटेल ने संस्था की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया था और प्रारंभिक शिक्षा से वंचित देश के पचास प्रतिशत बालकों के बारे में चिंता प्रकट की थी। उन्होंने बताया था कि 'बाल मजदूरी का अस्तित्व राष्ट्रीय शर्म है। 'गणतर' संस्था इस शर्म को कम करने का काम करती है। हम बाल मजदूरी को समाप्त करने के ध्येय के साथ 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों की शिक्षा के सार्वत्रीकरण हेतु सक्रिय हैं।' 'गणतर' संस्था भूकंप के बाद कच्छ जिले के बालकों की सहायता और शिक्षा हेतु 'चाइल्ड लाइन' और 'स्नेह समुदाय' के कई केन्द्र भी चला रही है।

और सब के सब भूकंप के बाद हुई जान-माल की हानि के बदले किस तरह आपस में दोषारोपण करते हैं इसकी रोचक, रोमांचक, हास्य प्रेरक प्रस्तुति इस नाटक में की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि शहर में इसके द्वारा पुनर्वास संबंधी समस्या के बारे में व्यापक चर्चा और संवाद किया जा सके। उस समुदाय को उसके दुःख, चिंता, सूचना विषयक मांग और अधिकार के बारे में आदान-प्रदान करने का मंच प्रदान किया जाएगा। जनक रावल और मन्विता बाराड़ी उसके दिग्दर्शक हैं; केन्द्र निदेशक हसमुख बाराड़ी हैं। समाज के कर्णधारों को विशेष रूप से देखने लायक यह नाटक गली नुक्कड़, चौक, चौराहे, हाउसिंग- सोसाइटी में खेला जाएगा। सम्पर्कः 'उन्नति'।

प्रजनन और बाल-स्वास्थ्य विषय पर पंच-सरपंचों की कार्यशाला

बाड़मेर के 'धारा संस्थान' द्वारा दि. 24.3.2001 को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य विषय पर पंच-सरपंचों की एक अभिमुखता कार्यशाला का आयोजन किया गया धा। इस कार्यशाला में व्यसन-मुक्ति अभियान भी चलाया गया, जिसमें 12 व्यक्तियों ने तम्बाकू, धूम्रपान और शराब का सेवन न करने की शपथ ली थी। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि बाड़मेर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री संजय अग्रवाल थे और अध्यक्ष थे बाड़मेर तहसील पंचायत के विकास अधिकारी श्री बलदेव सिंह। इसमें उप स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम. आर. गोयल विशेष अतिथि के रूप में पधारे थे। कार्यशाला में पंचों-सरपंचों ने प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में निभाई जाने वाली भूमिका के विषय में चर्चा की और उनके भावी आयोजन में जुड़ने संबंधी प्रयास किए गए। विशेष रूप से बालकों को होने वाली बीमारियों और टीकाकरण कार्यक्रम के महत्त्व के बारे में जानकारी दी गई थी। टी.बी., एड्स और अन्य रोगों के विषय में जानकारी देकर इन्हें दूर करने और रोकने के उपाय भी उन्हें बताये गए थे।

प्रोबायोटिक जैविक खाद

प्रोबायोटिक जैविक खाद विकसित की गई है जो फसलों के कचरे और प्राणिज कचरे से बनाई जाती है। इसे रासायनिक खादों के विकल्प के बतौर काम में लाया जाता है। बुवाई के समय इस वैकल्पिक खाद का उपयोग किया जाए तो आकाशी खेती की फसलों में भी 30 से 80 प्रतिशत की वृद्धि होती है। साबरकांठा जिले की मेघरज तहसील के गाय-वाछरड़ा गाँव के 10 किसानों ने खरीफ-2000 के लिए ऐसी 310 कि.ग्रा. जैविक खाद का उपयोग किया। उन्होंने कुल 2.44 हैक्टेयर भूमि में इस खाद की मदद से मक्का बोयी थी। उसका उत्पादन 2780 कि.ग्रा. हुआ, जो गत वर्ष के कुल उत्पादन से 600 कि.ग्रा. अधिक था। वर्षा विगत वर्ष से कम हुई, फिर भी उत्पादन ज्यादा हुआ था, यह एक उल्लेखनीय बात थी। पिछले 13 वर्षों से संस्था प्रोबायोटिक जैविक खाद का परीक्षण करती है और 11 वर्षों से तो बुवाई के समय इसका उपयोग भी किया जाता है। कोठ गाँव के एक कारीगर श्री वासुदेव राठौड़ ने विशाल पैमाने पर इस खाद को काम में लेने हेतु एक विशेष साधन भी बनाया है।

इन तमाम विवरणों हेतु सम्पर्क करें: इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज एंड ट्रांसफोर्मेशन्स, 1 राजलक्ष्मी भवन, नये गायत्री मंदिर के पास, जूना वाड़ज, अहमदाबाद।

भावी कार्यक्रम

द्वितीय अखिल गुजरात जैविक खेती सम्मेलन

खेती में प्रयुक्त रसायनों से पर्यावरण और मानव-स्वास्थ्य को होने वाले स्थायी नुकसान से आम जनता जाग्रत होती जा रही है। किसान को भी अब बाजार आधारित खेती फायदेमन्द नहीं। कृषक वर्ग कृषि रसायनों को प्रयुक्त कर-करके थक रहा है और किसी नए विकल्प की तलाश में है। इस स्थिति में 'जतन' और 'मानवीय टैक्नोलोजी फोरम' द्वारा दि. 16-18, मई, 2001 के दौरान गुजरात कृषि विश्व विद्यालय, आणंद केन्द्र के ब.अ. कृषि महाविद्यालय में द्वितीय अखिल गुजरात जैविक खेती सम्मेलन होगा। दि. 19 मई को जैविक खेती के केन्द्रों का स्वैच्छिक प्रवास आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय अकाल और जैविक खेती है। इसमें अकाल पड़ने के कारणों, गुजरात में प्राकृतिक स्रोतों की स्थिति और उनका खेती के साथ सम्बंध, अकाल में काम देने वाले बीज, वृक्ष, खेती, पानी की का मितव्ययी उपयोग की विधियों, जैविक खेती की विविध पद्धतियों, वर्मिकल्चर, जमीन का विज्ञान और उर्वरता का संरक्षण, रसायन-सहित उपज-

संरक्षण पद्धतियों, बायोटैक्नोलोजी का विज्ञान और प्रभाव, गुजरात में आहार संरक्षण, खेती का वैश्वीकरण, यू.के. में जैविक खेती, जैविक खेती की उपज-वितरण व्यवस्था इत्यादि विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, और किसान चर्चा आयोजित करेंगे। इस सम्मेलन में जैविक खेती करने वाले और अकाल में टिकी रहने वाली पद्धतियों को अमल में लाने वाले किसान अपनी पद्धतियों के बारे में विचार व्यक्त करें, इसके लिए खास तौर पर समय निश्चित किया गया है। सम्मेलन के दौरान प्रदर्शन, निदर्शन एवं जैविक खेती में काम देने वाली सामग्री का प्रस्तुतीकरण होगा। रोजाना रात में खेती विषयक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। इस सम्मेलन के आयोजन हेतु किसी भी निजी कंपनी का सशर्त दान या स्पॉन्सरशिप स्वीकार नहीं किया जाएगा या सरकार से शुल्क नहीं मांगा जाएगा। छोटे और आदिवासी किसान 5 कि.ग्रा. अनाज देकर नाम लिखा सकते हैं। महिला किसान बिना मूल्य दिए भाग ले सकेंगी और विद्यार्थियों को विशेष राहत दी जाएगी।

सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के लोक-सहभागिता से जल-संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत सफलता पाने वाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद करने वाले श्री अन्ना हजारे करेंगे तथा समापन भारत के जाने माने केंचुआ कृषि विशेषज्ञ डॉ. सुलतान इस्माइल करेंगे। इस सम्मेलन में 600 व्यक्तियों का पंजीकरण होगा। उनमें से आधे किसान होंगे। पंजीकरण कराने के लिए अनिवार्य निर्धारित कार्य और सूचना-पत्र निशुल्क जतन, विनोबा आश्रम, गोत्री, बडौदा-390021 से डाक द्वारा सूचित करने पर मिल सकेगा। पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। इस सम्मेलन के आयोजन में गुजरात कृषि विश्व-विद्यालय, सृष्टि-अहमदाबाद, पर्यावरण शिक्षण केन्द्र-अहमदाबाद, संदर्भ इनिशियेटिव्ज-अहमदाबाद, गुजरात कृषक समाज, गुजरात सर्वोदय मंडल, गुजरात नई तालीम संघ, कच्छ जैविक खेती मंच, दक्षिण गुजरात जैविक खेती मंडल इत्यादि स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हुआ है।

प्रक्रिया दस्तावेजीकरण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक विकास कार्यक्रमों के परिणाम और प्रभाव जल्दी से नहीं दिखते इस कारण उनका दस्तावेजीकरण का काम एक मुश्किल काम है। अतः दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं की क्रमबद्धता, विश्लेषण और चिंतन एक चिरंतन घटना है। इस तरह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम दि. 23 से 27 जुलाई 2001 के मध्य भोपाल में आयोजित होगा। हिन्दी भाषा में चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में केस स्टडी अध्ययन, समूह चर्चा तथा खेलों जैसी सहभागी पद्धतियों का समावेश किया जाएगा। रिपोर्ट लिखने के कौशल के विकास हेतु भी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। भोपाल की 'समर्थन' संस्था के निर्देशक डॉ. योगेशकुमार तथा 'उन्नति' के निर्देशक श्री बिनोय आचार्य इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. सामाजिक विकास की प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण की आवश्यकता और महत्त्व तथा प्रसार के बारे में विकास कार्यकर्ताओं को अभिमुख करना। **2.** घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में उपयोगी जानकारी इकट्ठी करने की प्रक्रियाओं बाबत जानकारी विकसित करके उसे संस्थागत सूचनाओं में परिवर्तित करना। **3.** विभिन्न विवरण तैयार करने तथा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने का कौशल विकसित करना।

इस कार्यक्रम में निम्न विषयों को समेटा जाएगा:

1. दस्तावेजीकरण और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया का महत्त्व। **2.** सूचना का निर्माण, अनुभवों का प्रसार-प्रचार और उपयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। **3.** वर्गीकरण की पद्धतियों तथा संचालन-सूचना व्यवस्था (एम.आई.एस.) के बारे में समझ में वृद्धि करना। **4.** प्रक्रिया संबंधी निर्देशक तैयार करना तथा सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और उसके लिए प्रभावी व्यवस्था खड़ी करना। **5.** प्रतिवेदन लेखन- प्रगति प्रतिवेदन, क्षेत्रीय भ्रमण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन आदि तैयार करना।

हरेक संस्था से ज्यादा से ज्यादा दो कार्यकर्ता भाग ले सकेंगे। उनमें एक महिला होगी। प्रवास का खर्चा संबंधित संस्थाएँ वहन करेंगी। संस्था-प्रधान की स्वीकृति के साथ पंजीकरण-पत्र भेजा जाए। भाग लेने के इच्छुक प्रतिनिधियों को 'उन्नति' से सम्पर्क स्थापित करना है। उनको पंजीकरण-पत्र दिया जाएगा।

संदर्भ साहित्य

भूकंप और मानव सहायता

इस पुस्तक में गुजरात में आए भूकंप से हुई जान-माल की हानि का विवरण दिया गया है। इसमें कच्छ जिले का ब्यौरा व्यापक मात्रा में दिया गया है, साथ ही गुजरात के अन्य जिलों और अहमदाबाद महानगर की सूचनाएँ भी इसमें मौजूद हैं। नुकसान के अनुमान, मौतों के अनुमान, सरकारी तंत्र द्वारा राहत की कार्यवाही, स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा राहत सेवा आदि का विवरण इस पुस्तक में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, भूतकाल में आए भूकंपों के विवरण, भूकंप के समय सुरक्षित कैसे रहें, भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए आवास प्राप्ति के अधिकार, भूकंप में मकान गिर न जाएँ, इसके लिए क्या करें, सहायता के लिए पते और टेलिफोन नंबर, सरकारी कार्यालयों और स्वैच्छिक संस्थाओं के टेलिफोन नंबर, आदि भी इस पुस्तक में मिलते हैं। पुस्तक का प्रकाशन भूकंप के बाद तत्काल किए जाने से सारी सूचनाएं आरंभिक स्तर की हैं। प्रकाशकः नेशनल सेनिटेशन एंड एन्वायर्नमैन्ट इम्प्रूवमैन्ट फाउण्डेशन, चौथी मंजिल, सहयोग कमर्शियल सेंटर, दीनबाई टावर के सामने, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001; लेखकः सूर्यकांत परीख, मूल्यः 10 रु., पृष्ठ 100.

गुजरात सरकार के प्रकाशन

गुजरात के भूकंपग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण - पुनर्वास की पैकेज योजना

गुजरात सरकार ने भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु चार पैकेज योजनाएँ घोषित की हैं, उनका विवरण इस पुस्तिका में दिया गया है। शुरू में विनाशक भूकंप विषयक महत्त्वपूर्ण जानकारी है, उससे यह जानने को मिलता है कि कितने जिले, तहसीलें और गाँव प्रभावित हुए हैं और विद्युत व जल व्यवस्था का कितना नुकसान हुआ है। पुनर्निर्माण के प्रोजेक्ट के अधीन जो चार पैकेज तैयार किए गए हैं, उनका विवरण इसमें उपलब्ध है। किस क्षेत्र में पुनर्निर्माण करने का सरकार का कैसा विचार है, यह भी इसमें मौजूद है। प्रथम तीन पैकेज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं और चौथा भुज, भचाऊ, रापर, अंजार को छोड़कर गुजरात के प्रभावित शहरी अंचल के लिए है। इस समग्र प्रोजेक्ट में कौन-कौन से खास पहलू हैं, यह भी उसमें विषयवार बताया गया है। सरकारी योजना का विवरण जानने और समझने के लिए यह पुस्तिका महत्त्वपूर्ण है। इसमें चिकित्सा सहायता हेतु महत्त्वपूर्ण फोन नंबर भी दिये गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, बिजली, उद्योग, व्यापार, सड़कों और मकानों इत्यादि क्षेत्रों को गणतंत्र दिवस के दिन भूकंप में हुए नुकसान का अंदाजा भी इसमें लिखा गया है, जो 19,229 करोड़ रुपये है। पृष्ठः16.

प्रकृति का प्रचंड प्रकोप

मुख्य मंत्री ने इस पुस्तिका की भूमिका लिखी है। पुस्तिका में जानमाल की हानि का अंदाजा उसके भौगोलिक फैलाव के साथ दिया गया है। राज्य सरकार ने भूकंप के कारण उपजी परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या-क्या प्रशासनिक कदम उठाये हैं, उसका विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त कौनसे महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिये हैं, उनका ब्यौरा भी दिया गया है। पुस्तिका में महत्त्वपूर्ण टेलिफोन नंबरों की सूची और भूकंप से प्रभावित इलाकों को दर्शाता हुआ गुजरात का नक्शा भी दिया गया है। भूकंप के बाद की सरकार की प्राथमिक कार्यवाही का ब्यौरा भी इसमें विद्यमान हैं। पृष्ठः 16.

विनाशक भूकंप प्रकोप, परीक्षण, पुरुषार्थ, परिणाम

80 पृष्ठों की इस पुस्तिका में भूकंप के बारे में तमाम जानकारी उपलब्ध है। पुनर्वास संबंधी पैकेज योजनाओं, आर्थिक प्रवृत्ति की पुनर्स्थापना संबंधी पैकेज योजना, नमक उद्योग और नमक मजदूरों हेतु पैकेज योजना, कृषि विषयक सहयोगी योजना, भूकंपग्रस्त शहरों हेतु कामचलाऊ आवास योजनाओं आदि की जानकारी इस प्रकाशन में उपलब्ध है। इसके अलावा केन्द्र, सरकार, राज्य सरकार, अन्य राज्यों और विदेशों की सहायता आदि जानकारी भी दी गई है।

भूकंप में सावधानी हेतु कौनसे कदम उठाने चाहिए और मकानों को भूकंप प्रतिकारक कैसे बनाया जाए, इसकी जानकारी भी

यहाँ मौजूद है और उपयोगी सुझाव भी दिए गए हैं। अंत में प्रभावित गाँवों की सम्पूर्ण सूची भी दी गई है। प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के सहायता कोष में प्रदत्त योगदान का ब्यौरा भी इसमें मौजूद है। पैकेज योजनाओं के बारे में गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को इसमें सहायता करेगी, यह भी इससे जानने को मिलता है। हथकरघे, कारीगरी हस्तकला क्षेत्र, स्वरोजगार आदि इकाइयों की सहायता के लिए निर्धारित स्तर की जानकारी भी इसमें दी गई है। इसके अलावा, सेवा के लंबी अवधि के वर्कशेड और आवासन योजना, ग्रामोद्योग विकास केंद्रों आदि की सहायता के बारे में जानकारी भी इसमें मिलती है। प्रकाशकः सूचना विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर।

'नेशनल सेंटर फॉर पीपल्स एक्शन इन डिजास्टर प्रिपेर्डनेस' के प्रकाशन

मरम्मत और भूकंप प्रतिरोधक सुदृढ़ीकरण

बारह पृष्ठों की यह छोटी-सी पुस्तिका मौजूदा घरों को कैसे मजबूत बनाएं इस बारे में जानकारी देती है। वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी से सामान्य व्यक्ति स्थानीय सामग्री से स्थानीय कारीगरों की मदद से भी अपने घर को किस तरह मजबूत बना सकता है, यह इस पुस्तिका में बताया गया है। जिस हिस्से में नुकसान हुआ हो, उस हिस्से की मरम्मत करके अथवा उतने हिस्से को गिरा कर फिर से पहले जैसा घर बनाया जा सकता है। पुस्तिका यह बताती है कि आड़ी, खड़ी और तिरछी दरारें क्यों पड़ती हैं तथा पक्का मकान भी भूकंप में क्यों ढह जाता हैं। उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है और क्षतिग्रस्त पक्के मकानों को भूकंपप्रूफ कैसे बनाया जा सकता है, इसकी सचित्र जानकारी इसमें दी गई है।

नुकसान की परख के लिए सचित्र मार्गदर्शिका

चार पन्नों की यह मार्गदर्शिका पक्के मकानों में हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। नुकसान के पाँच प्रकार इसमें दर्शाए गए हैं। किस तरह के नुकसान में लोगों के लिए वहाँ रहना सुरक्षित है या नहीं और किस तरह के नुकसान वाले मकान को फिर से रहने योग्य कैसे बनाया जा सकता है, इसकी ब्यौरेवार जानकारी प्रदान की गई है। छोटी और बड़ी दरारों, छत की मेड़ों के टूट गिरने, दीवारें टूट गिरने आदि प्रकार के नुकसान में क्या करना चाहिए और आर.सी.सी. के बीम कॉलम का निर्माण कार्य हो तो क्या करना चाहिए, यह इस पत्रिका में समझाया गया है।

भूकंप से टक्कर लेने वाले घर का निर्माण

भूकंप प्रतिरोधक घर कैसे बनवाया जाए, यह बात इस 12 पेजी लघु पुस्तिका में समझाई गई है। इसमें लिखा गया है कि 'कोई भी साधारण सामग्री तथा ईंट, पत्थर, माटी, ब्लॉक आदि से भूकंप-सुरक्षित घर बनाया जा सकता है। परंतु प्रत्येक सामग्री के साथ भूकंप प्रतिरोधक तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है... सस्ती और तत्काल उपलब्ध साधन-सामग्री के अनुरूप तकनीक को समझो, उसका उपयोग करो और सुरक्षित जीवन की शुरूआत करो।' इसमे पत्थर और माटी की दीवार तथा ईंट की दीवार की किस तरह चिनाई करनी, कोने खुल न जाएं और दरारें न आएँ, इसके लिए क्या करें, कंक्रीट की छत के बराबर नीचे दीवार में आड़ी दरार न पड़े इसके लिए क्या करें, खपरैल की छत कैसे बनाएँ, दरवाजों, खिड़की और आलमारी के पास दरार न पड़े, इसके लिए क्या करें, इत्यादि बातें समझाई गई हैं। पुस्तिका में भूकंप सुरक्षा के 18 सूत्र भी दिए गए हैं।

भूकंप और तूफान से सुरक्षित अल्पावधि का आवास स्थल

चार पन्नों की इस पुस्तिका में तम्बू के बजाय ज्यादा आरामदायी और वर्ष दो वर्ष रहने लायक घर कैसे बनवाया जा सकता है, इसे 19 चित्रों के द्वारा समझाया गया है, नींवें कैसे खोदी जाएं दीवार कैसे चिनी जाएं, आड़ी-खड़ी बल्लियां किस तरह बनाई और रखी जाएँ, विलायती खपरैलों से छत को कैसे ढंकना, उनको किस तरह मजबूत बनाना, बोल्ट, वासर, नट किस तरह फिट किए जाएँ, दरवाजा कैसा बनाया जाए और कहाँ रखा जाए इत्यादि की सचित्र जानकारी दी गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आज के भावों में पत्थर व ईंटों की कीमत के सिवाय ऐसा एक घर खपरैल की छत के साथ 5870 रु. में तैयार होता है और केनवास की छत के साथ 6885 रु. में तैयार होता है। पुराने बल्ली और खपरैल काम में लेने पर और खाली दीवार बनाने और खपरैल लगाने का काम लोग खुद करें तो घर बनाने का खर्चा इससे भी कम आ सकता है। प्रतियों के लिए संपर्क करें: राजेन्द्र और रूपल देसाई, ए-6, मनाली एपार्टमेन्ट्स, डॉ. विक्रम साराभाई मार्ग, अटीरा केम्पस के सामने, अहमदाबाद-380015, फोनः 079-6309712.

शेष पृष्ठ 19 पर

अपने बारे में

विगत तीन माह के दौरान 'उन्नति' में सम्पन्न कार्यवाही का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है:

गुजरात

गुजरात में गणतंत्र दिवस को आए भूकम्प के बाद मुख्य रूप से राहत और पुनर्वास संबंधी प्रवृत्तियाँ आयोजित की गई। गुजरात मे कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, पाटण और जामनगर जिले की 10 तहसीलों में सैंकड़ों गाँव और अहमदाबाद शहर भी प्रभावित हुए थे। अहमदाबाद में 56 मकान ढह गए थे और लगभग 300 मकान असुरक्षित घोषित किए गए थे।

- प्रथम माह के दौरान जिन अंचलों में राहत सामग्री और सेवाएँ नहीं पहुँची, वहाँ इसे पहुँचाने में हमने समन्वयक की भूमिका का निर्वाह किया। 'उन्नति' के स्टाफ द्वारा एवं सहभागी संस्थाओं के द्वारा उन अंचलों से सम्पर्क साध कर अपने स्तर पर सूचनाएँ प्राप्त की गई। तब अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धि हेतु विभिन्न कंट्रोल रूमों से अनुरोध किया गया। हम समुदायों के साथ सम्पर्क स्थापित कर पाए थे और लगभग 60 गाँवों में राहत सामग्री को पहुँचाने की व्यवस्था की थी।
- पुनर्वास की अल्प एवं दीर्घ कालिक योजनाएँ बनाने के लिए हमने विविध स्वैच्छिक संस्थाओं, दाता संस्थाओं, कंपनियों और 'संयुक्त राष्ट्र' (युनाइटेड नेशंस) की संस्थाओं में आयोजित चर्चाओं में भाग लिया। विधवाओं और अकेली महिलाओं, अनाथ बालकों, विकलांगों और वृद्धों जैसे कमजोर वर्गों की समुदाय आधारित पुनर्वास की जरूरत पर हमने विशेष बल दिया और इस विचार का प्रसार भी किया।
- सर्वाधिक कमजोर वर्गों के समुदाय आधारित पुनर्वास के विचार को प्रोत्साहन देने हेतु हमने एक्शन एड (इंडिया) के संग-सहयोग में 'स्नेह समुदाय' का विचार खड़ा किया, जो उड़ीसा के विनाशक तूफान के बाद के कार्यानुभव से उद्‌भव हुआ था। इस समय हम भचाऊ नगर और उसके आसपास मोटी चिराई, नानी चिराई, चापड़वा, लुणवा, काबराउ, आमरड़ी, और भुजपर इत्यादि गाँवों में समुदाय आधारित पुनर्वास को प्रोत्साहित करने हेतु काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों की प्रवृत्तियाँ गुजरात और राजस्थान के सहभागी संगठनों के कार्यकर्ताओं के सहारे से की जा रही हैं। मुख्य मार्ग पर चौराहे से आधा कि.मी. दूर नए एस.टी. बस स्टेशन के सामने भचाऊ में एक समन्वय कार्यालय खोला गया है। फोन नं. 98251-76290.
- स्थानीय स्वशासन विभाग के अपने कार्य को हमने भूकंपग्रस्त इलाकों में फैलाया है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों को दुष्प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण कार्य में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी और ज्ञान दिया जा रहा है और उनको प्रवृत्त किया जा रहा है ताकि वे पुनर्रचना की प्रक्रिया में जन-सहभागिता पैदा कर सकें और उनका उत्तरदायित्व निश्चित कर सकें।
- भचाऊ के आसपास के सात गाँवों में हस्तकला-आधारित जीवन-निर्वाह फिर से तैयार करने हेतु एक सर्वेक्षण हाथ में लिया गया है।
- हमें भूकंप के बाद बचे रहने वाले लोगों की मनो-सामाजिक सार-संभाल लेने की जरूरत भी नजर आई है। हम निम्हान्स-बेंगलूर, सिविल हॉस्पिटल-अहमदाबाद, अंतर्नाद-अहमदाबाद और कन्सर्ड एकशन नाउ - नई दिल्ली के मानसिक स्वास्थ चिकित्सकों के साथ सतत सम्पर्क करते हैं। यूनिसेफ और 'संयुक्त राष्ट्र' की अन्य संस्थाओं के द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हमने सक्रिय भाग लिया है। कच्छ में आघात-परामर्श (ट्रोमा-कौंसलिंग) के संबंध में स्वयंसेवकों के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं।
- भूकंप प्रतिकारक गृहनिर्माण की तकनीक के बारे में समझ विकसित करने के लिए बैठकों में भी हमने भाग लिया। देहरादून की 'पीपल्स साइंस इंन्स्टीट्यूट' के डॉ. रवि चौपड़ा और लातूर व चमोली में भूकंप के समय काम करने वाले श्री राजेंद्र देसाई ने मकान निर्माण की तकनीक के बारे में बहुत सी बातें बताई। यह सारी जानकारी हम अन्य लोगों को प्रदान कर रहे हैं।
- अहमदाबाद के स्लम क्वार्टर्स को भूकंप के कारण जो नुकसान पहुँचा है उसकी और सरकार सहित किसी का ध्यान नहीं गया। 'उन्नति' के 'अहमदाबाद कम्यूनिटी फाउण्डेशन' द्वारा 'कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' के सहयोग में यह मुद्दा उठाया गया। हमने संबंधित नागरिकों के साथ इस बारे में संवाद शुरू किया और दो अंचलों में नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन भी हाथ में लिया।

- गुजरात में 'फिर हम तो छुट्टे' नामक एक नुक्कड़ नाटक 'थियेटर एंड मीडिया सेंटर' के सहयोग से तैयार किया गया है। उसका उद्देश्य यह है कि उससे पुनर्वास संबंधी समस्या पर व्यापक चर्चा और संवाद किया जाए। उस समुदाय को अपने दुःख, चिंता, सूचना विषयक मांग और अधिकारों के विनिमय हेतु मंच दिया जाएगा। 'विश्व रंगमंच दिवस' को यह नाटक 'विजुअल आर्ट सेंटर' में खेला गया और इसके दो प्रदर्शन आजाद सोसाइटी में भी किए गए।
- भूकंप के बाद के 15 दिनों में हमने प्रतिदिन और तदुपरान्त प्रति सप्ताह दो बार 'अपडेट' तैयार किए और अब प्रति सप्ताह एक बार तैयार कर रहे हैं और अपने तमाम सहभागियों को अद्यतन प्रगति के बारे में ई-मेल द्वारा जानकारी भेज रहे हैं।

राजस्थान

स्थानीय प्रयासों को सहयोग

राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं ने गुजरात के भूकंपग्रस्त इलाकों में राहत और पुनर्वास की सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्वेच्छया सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी आयोजित प्रवृत्तियाँ तो हाथ में ली ही हैं।

- 'दलित अधिकार अभियान' बराबर चल रहा है और सार्वजनिक स्थानों पर दलितों के खिलाफ भेदभाव के सवाल पर ब्लॉक स्तर की बैठकें आयोजित हो रही हैं। बाड़मेर और जोधपुर जिला प्रशासन ने प्राथमिक शालाओं में दलित बालकों के प्रति भेदभाव न रखा जाए, इस आशय का एक कड़ा आदेश जारी किया है।
- भेदभाव और अस्पृश्यता संबंधी 'एक्शन एड' के एक अध्ययन में हम भाग ले रहे हैं।
- दलितों के सवाल पर सभ्य समाज के नेताओं की क्षमता को बढ़ाने हेतु 'दलितों के सवाल पर कानूनी साक्षरता' विषयक दो प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिए गए थे। प्रथम कार्यक्रम 22-24 जनवरी, 2001 के मध्य आयोजित हुआ था, जिसमें विभिन्न संगठनों के 23 दलित नेता उपस्थित थे। दूसरा कार्यक्रम 24-28 फरवरी, 2001 के मध्य आयोजित हुआ और उसमें 'जय भीम शिक्षण संस्थान' (जेबीएसएस) के सदस्यों के प्रति भेदभाव की 40 घटनाएँ उठाई गई थीं।

शेष पृष्ठ 12 पर

विचार के इस अंक का प्रकाशन 'एकशन एड-इंडिया' गांधीधाम के सौजन्य से किया गया है।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संस्थान

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnati@ad1.vsnl.net.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

21-ए 9वां पॉल रोड, बच्छराज जी का बाग, जोधपुर-342003 राजस्थान

फोन/फैक्सः 0291-643248, फोनः 0291-642185 email: unnati@datainfosys.net

रूपांकनः राजेश पटेल **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः कलरमैन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयूर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।